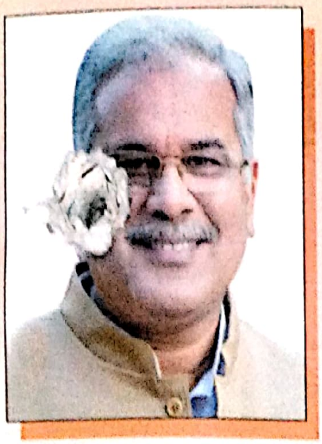

छत्तीसगढ़ शासन

# प्रशासकीय प्रतिवेदन

## वर्ष 2018-19

# श्रम विभाग

Scanned with OKEN Scanner

माननीय मुख्यमंत्री नववर्ष के अवसर पर गांधी मैदान रायपुर चावड़ी में श्रमिकों से चर्चा करते हुए

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ शासन

# श्रम विभाग

## प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष : 2018-19

Scanned with OKEN Scanner

# वर्ष : 2018—19

## विभाग का नाम — श्रम विभाग

| | | |
|---|---|---|
| मंत्री | — | डॉ0 शिवकुमार डहरिया |
| सचिव | — | श्री सुबोध कुमार सिंह (आई.ए.एस.) |
| उप सचिव | — | दिव्या उमेश मिश्रा (आई.ए.एस.) |
| अवर सचिव | — | श्री एफ0 केरकेट्टा |

## छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

| | | |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | — | डॉ0 शिवकुमार डहरिया,<br>माननीय श्रम मंत्री, |

## छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

| | | |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | — | डॉ0 शिवकुमार डहरिया,<br>माननीय श्रम मंत्री, |

## छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल

| | | |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | — | डॉ0 शिवकुमार डहरिया,<br>माननीय श्रम मंत्री, |

## विभागाध्यक्ष

| | | |
|---|---|---|
| 1. अध्यक्ष,<br>राज्य औद्योगिक न्यायालय | — | श्री टी. के. चक्रवर्ती |
| 2. श्रमायुक्त | — | श्री सुबोध कुमार सिंह (आई.ए.एस.) |
| 3. संचालक,<br>कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें | — | डॉ. व्ही.टी. [illegible] |

# अनुक्रमणिका


| क्र. | | शीर्षक | पृष्ठ |
|---|---|---|---|
| 1. | | श्रम विभाग का दायित्व | 1 |
| 2. | | श्रम विभाग की संरचना | 2–3 |
| 3. | | श्रमायुक्त संगठन रायपुर | 4–10 |
| | 3.1 | श्रमायुक्त संगठन का अमला | 5–6 |
| | 3.2 | श्रमायुक्त संगठन (मुख्यालय) का अमला | 7 |
| | 3.3 | श्रमायुक्त संगठन (मैदानी अमला) | 8 |
| | 3.4 | श्रमायुक्त संगठन (मैदानी अमला) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा | 9 |
| | 3.5 | असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल हेतु अमला | 10 |
| 4. | | भारत के संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान | 11–12 |
| 5. | | श्रम अधिनियमों की सूची | 13–14 |
| 6. | | महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का दायित्व | 15–16 |
| 7. | | औद्योगिक संबंध | 17–18 |
| | 7.1 | औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत की गई कार्यवाही | 18 |
| 8. | | व्यवसायिक संघ अधिनियम, 1926 का कार्यान्वयन | 19 |
| 9. | | श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन | 20–27 |
| 10 | | उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 | 28 |
| 11 | | बोनस | 28 |
| 12 | | श्रमिकों के विशेष वर्गों के लिये कार्यक्रम | 29–31 |
| | 12.1 | महिला श्रमिक | 29 |
| | 12.2 | बाल एवं किशोर श्रम | 29–30 |
| | 12.3 | राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना | 30–31 |
| | 12.4 | पेंसिल पोर्टल | 31 |
| 13 | | बीड़ी श्रमिक | 32 |


Scanned with OKEN Scanner

| क्र. | शीर्षक | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 14. | बंधक श्रम | 33–35 |
| 14.1 | वांछित बंधक श्रमिक केन्द्रांश पुनर्वास सहायता राशि | 35 |
| 14.2 | नवीन केन्द्र प्रवर्तित पुनरीक्षित बंधक श्रमिक पु नर्वास सहायता योजना प्रभावशील तिथि 17 मई 2016 के पश्चात् अन्य राज्यों से विमुक्त श्रमिकों को तात्कालिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता हेतु प्रस्तावित श्रमिकों का विवरण | 35 |
| 15. | श्रम यशस्वी पुरस्कार | 36 |
| 16. | न्यूनतम वेतन अधिनियम | 36–41 |
| 17. | राज्य स्तरीय समितियाँ | 42 |
| 18. | श्रमायुक्त संगठन का बजट वर्ष 2018–19 | 43 |
| 19. | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा छत्तीसगढ़ | 44–52 |
| 20. | छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल | 53–57 |
| 21. | छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | 58–73 |
| 22. | छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल | 74–88 |
| 23. | राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़ | 89–90 |
| 24. | कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, छत्तीसगढ़ | 91–95 |
| 25 | विभागीय गतिविधियों/कार्यक्रमों से संबंधित छायाचित्र | 96 |


Scanned with OKEN Scanner

# 1.श्रम विभाग का दायित्व

श्रम विभाग का मुख्य दायित्व विभिन्न श्रम अधिनियमों के माध्यम से श्रमिकों के आर्थिक, शारीरिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण करना है। श्रमायुक्त संगठन द्वारा श्रमिकों एवं प्रबंधन के मध्य परस्पर सामंजस्य स्थापित करते हुए श्रमिक हित एवं औद्योगिक विकास में योगदान दिया जाता है। विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवा शर्तों का नियमन कराना, श्रमिकों का वेतन एवं कार्य दशायें सुनिश्चित कराना तथा औद्योगिक विवादों का निराकरण कर औद्योगिक शांति स्थापित करना, श्रम विभाग का मुख्य दायित्व है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय औद्योगिक दुर्घटना को नियंत्रित करने हेतु कारखाना सुरक्षा मापदंडो के पूर्ण पालन करने तथा श्रमिकों को सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कर श्रमिकों को सुरक्षित कार्य दशा उपलब्ध कराता है ताकि श्रमिकों को स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध हो।

श्रमिकों की समस्याओं एवं औद्योगिक विवादों का निराकरण प्रबंधन, श्रमिक संघों एवं श्रमिकों के मध्य समझौता कार्यवाही के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत अपराधिक एवं श्रमिकों के वेतन दावों के प्रकरणों सहित श्रमिकों के सेवा शर्तों आदि के प्रकरणों का निराकरण/निर्धारण हेतु औद्योगिक न्यायालय एवं श्रम न्यायालय की स्थापना की गयी है।

संगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिये कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु श्रम कल्याण मंडल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण में लगे निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के लिये छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित कामगारों के कल्याण हेतु छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन किया गया है। इन मण्डलों के माध्यम से श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनायें संचालित की जाती है।

इन योजनाओं में श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के कौशल विकास, उनके रोजगार से संबंधित विभिन्न स्वरोजगारोन्मुखी सामग्रियों का वितरण, बच्चों की समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नौनिहाल एवं मेधावी छात्रवृत्तियां, महिला श्रमिकों एवं उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता राशि का भुगतान, बीमा सुरक्षा एवं पेंशन से संबंधित हितलाभ, दुर्घटना में चिकित्सा सहायता, बीमारियों के इलाज, मातृत्व हितलाभ, अंत्येष्टि हेतु सहायता अनुदान इत्यादि सम्मिलित है।

इसी प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं संचालनालय द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को चिकित्सा हितलाभ एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

# 2. श्रम विभाग की संरचना

- **विभागाध्यक्ष कार्यालय**
  (1) श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़
  (2) संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाऐं

- **मंडल**
  (1) छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल
  (2) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
  (3) छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

Scanned with OKEN Scanner

# श्रम विभाग की संरचना

श्रम मंत्री

↓

सचिव (श्रम)

## श्रमायुक्त

मुख्यालय

**अपर श्रमायुक्त**
- उप श्रमायुक्त
- सहायक श्रमायुक्त
- श्रम पदाधिकारी
- विधि अधिकारी
- लेखाधिकारी
- सहा0 श्रम पदाधिकारी
- अधीक्षक

**मैदानी कार्यालय**
- सहा0 श्रमा0 रायपुर
- सहा0 श्रमा0 दुर्ग
- सहा0 श्रमा0 कोरबा
- सहा0 श्रमा0 बिलासपुर
- सहा0 श्रमा0 रायगढ़
- श्रम पदा0 राजनांदगांव
- श्रम पदा0 जगलदपुर
- श्रम पदा0 जांजगीर–चांपा
- श्रम पदा0 अंबिकापुर
- श्रम पदा0 महासमुन्द
- श्रम पदा0 कबीरधाम
- श्रम पदा0 धमतरी
- श्रम पदा0 कांकेर
- श्रम पदा0 कोरिया
- श्रम पदा0 बालोद
- श्रम पदा0 बलौदा बाजार
- श्रम पदा0 गरियाबंद
- श्रम पदा0 मुंगेली
- श्रम पदा0 जशपुर
- श्रम पदा0 सूरजपुर
- श्रम पदा0 बलरामपुर
- श्रम पदा0 बेमेतरा
- श्रम पदा0 कोण्डागांव
- श्रम पदा0 सुकमा
- श्रम पदा0 नारायणपुर
- श्रम पदा0 बीजापुर
- श्रम पदा0 दन्तेवाड़ा

**संचालक औ.स्वा. सु.**
- उप संचालक
- सहायक संचालक

**मैदानी कार्यालय**
- उप संचा0 रायपुर
- उप संचा0 दुर्ग
- उप संचा0 बिलासपुर
- उप संचा0 रायगढ़
- उप संचा0 राजनांदगांव
- उप संचा0 कोरबा
- उप संचा0 हाईजिन लैब, रायपुर
- सहा0 संचा0 जांजगीर–चांपा
- सहा0 संचा0 बलौदा बाजार
- सहा0 संचा0 जगदलपुर
- सहा0 संचा0 अंबिकापुर

## संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें

↓ मुख्यालय

↓ संचालक
- बीमा चिकित्सा पदा0 (प्रथम श्रेणी)
- बीमा चिकित्सा पदा0 (द्वितीय श्रेणी)
- लेखा अधिकारी

**मैदानी कार्यालय**

↓ जिलेवार औषधालय
- रायपुर (8)
- दुर्ग (9)
- कोरबा (6)
- बिलासपुर (3)
- रायगढ़ (6)
- राजनांदगांव (3)
- जांजगीर–चांपा (3)
- धमतरी (1)
- बलौदाबाजार (3)
- गरियाबंद (1)

## श्रम कल्याण मंडल

↓ अध्यक्ष

↓ उपाध्यक्ष

↓ कल्याण आयुक्त, रायपुर

↓ जिले वार संचालित केंद्र
- रायपुर (4)
- दुर्ग (3)
- कोरबा (3)
- बिलासपुर (3)
- राजनांदगांव (3)
- जांजगीर–चांपा (1)

## भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

↓ अध्यक्ष

↓ सचिव

## असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

↓ अध्यक्ष

↓ सचिव

↓
- उप श्रमायुक्त
- सहायक श्रमायुक्त
- श्रम पदाधिकारी
- लेखाधिकारी

### संकेत

| | |
|---|---|
| श्रमा0 = श्रमायुक्त | औ0स्वा0सु0 = औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा |
| संचा0 = संचालक | बी.चि.पदा.= बीमा चिकित्सा पदाधिकारी |
| सहा0 = सहायक | अधि0 = अधिकारी |
| पदा0 = पदाधिकारी | (....) = औषधालयों/केन्द्रों की संख्या |





Scanned with OKEN Scanner

# 3. श्रमायुक्त संगठन, रायपुर

प्रदेश का श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर में है। श्रमायुक्त इसके विभागाध्यक्ष हैं। श्रमायुक्त कार्यालय के अधीन राज्य के 27 जिलों में जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित है, जिनमें 05 जिलों में सहायक श्रमायुक्त तथा 22 जिलों में श्रम पदाधिकारी कार्यालय संचालित हैं। इसी प्रकार 10 जिलों में उप संचालक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय तथा रायपुर में उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (इण्डस्ट्रीयल हाईजिन) का राज्य स्तरीय कार्यालय संचालित हो रहा है।

राज्य के श्रमायुक्त संगठन का मुख्य दायित्व विभिन्न वर्ग के श्रमिकों के हितों का संरक्षण तथा प्रदेश के औद्योगिक विकास संबंधी व्यापक हितों को देखते हुए श्रमिक एवं नियोजकों के मध्य औद्योगिक सौहार्द्र का निर्माण करना है। श्रमायुक्त संगठन उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति विभिन्न श्रम कानूनों और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के माध्यम से करता है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन, श्रमिकों एवं प्रबंधन के मध्य विद्यमान औद्योगिक विवादों का निराकरण, श्रम संबंधी मामलों में सुनवाई किया जा कर अर्धन्यायिक कार्यवाहियां, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सेवाएं, विशेष रूप से कमजोर एवं असंगठित श्रमिकों का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिक कल्याण कार्य किया जाता है। राज्य स्तर पर विभिन्न वर्गों से आवश्यक परामर्श के उपरान्त नीति निर्धारण किये जाने हेतु अधिनियमों के प्रावधानानुसार राज्य स्तरीय विभिन्न समितियों/पर्षद का गठन किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

## 3.1 श्रमायुक्त संगठन का अमला

(दिनांक 01.01.2019 की स्थिति में)

| क्र. | पदनाम | श्रेणी | वेतनमान | स्वीकृत पद | | | भरे पद | | | रिक्त पद | | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सीधी भर्ती | पदोन्नति | योग | सीधी भर्ती | पदोन्नति | योग | सीधी भर्ती | पदोन्नति | योग | |
| 1 | श्रमायुक्त | प्रथम श्रेणी | भा0प्र0से0 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 2 | अपर श्रमायुक्त | प्रथम श्रेणी | 37400–67000 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – |
| 3 | संचालक औ. स्वा. एवं सुरक्षा | प्रथम श्रेणी | 37400–67000 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| 4 | उप श्रमायुक्त | प्रथम श्रेणी | 15600–39100 | – | 3 | 3 | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| 5 | सहायक श्रमायुक्त | प्रथम श्रेणी | 15600–39100 | – | 7 | 7 | – | 4 | 4 | – | 3 | 3 | – |
| 6 | उप संचालक औ. स्वा.एवं सुरक्षा | प्रथम श्रेणी | 15600–39100 | – | 8 | 8 | – | 7 | 7 | – | 1 | 1 | – |
| 7 | उप संचालक (चिकित्सा) | प्रथम श्रेणी | 15600–39100 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| | योग | | | 1 | 22 | 23 | 1 | 13 | 14 | – | 8 | 8 | |
| 8 | श्रम पदाधिकारी | द्वितीय श्रेणी | 15600–39100 | 9 | 18 | 27 | 6 | 2 | 9 | – | 16 | 18 | – |
| 9 | लेखा अधिकारी | द्वितीय श्रेणी | 15600–39100 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | प्रतिनियुक्ति पद |
| 10 | सहायक संचालक | द्वितीय श्रेणी | 15600–39100 | 20 | – | 20 | 17 | – | 17 | 3 | – | 3 | |
| 11 | सहायक संचालक (चिकित्सा) | द्वितीय श्रेणी | 15600–39100 | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत |
| 12 | सहायक संचालक, हाईजीन औ0स्वा0 एवं सु0 | द्वितीय श्रेणी | 15600–39100 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | |
| 13 | विधि अधिकारी | द्वितीय श्रेणी | 15600–39100 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | प्रतिनियुक्ति पद |
| | योग | | | 34 | 18 | 52 | 25 | 2 | 27 | 9 | 16 | 25 | |

Scanned with OKEN Scanner

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | सहायक श्रमपदाधिकारी | तृतीय श्रेणी | 9300–34800 | 9 | 9 | 18 | 5 | 16 | 21 | 4 | — | 4 | [illegible] आयोग के द्वारा चयनित 04 पद की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 04 पद श्रम पदाधिकारी की पदोन्नति के पद के विरूद्ध भरा हुआ है। 01 पद संविदा के माध्यम से कार्यरत। |
| 15 | सहायक लेखाधिकारी | तृतीय श्रेणी | 9300–34800 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | प्रतिनियुक्ति पद |
| 16 | सहा. सांख्यिकीय अधिकारी | तृतीय श्रेणी | 9300–34800 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | प्रतिनियुक्ति पद |
| 17 | अधीक्षक | तृतीय श्रेणी | 9300–34800 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 18 | सहायक अधीक्षक | तृतीय श्रेणी | 9300–34800 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 19 | स्टेनोग्राफर–2 | तृतीय श्रेणी | 9300–34800 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 20 | केमिस्ट | तृतीय श्रेणी | 9300–34800 | 2 | 2 | 4 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 3 | — |
| 21 | श्रम निरीक्षक | तृतीय श्रेणी | 5200–20200 | 51 | 51 | 102 | 37 | 25 | 62 | 14 | 26 | 40 | सीधी भर्ती के 08 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 22 | श्रम उप निरीक्षक | तृतीय श्रेणी | 5200–20200 | 23 | 24 | 47 | 21 | 24 | 45 | 2 | — | 2 | रिक्त 02 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 23 | लैब असिस्टेंट | तृतीय श्रेणी | 5200–20200 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — |
| 24 | स्टेनोग्राफर–3 | तृतीय श्रेणी | 5200–20200 | 1 | 2 | 3 | — | — | — | 1 | 2 | 3 | सीधी भर्ती के 01 पद पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 25 | सांख्यिकीय पर्यवेक्षक | तृतीय श्रेणी | 5200–20200 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 26 | सहायक ग्रेड–1 | तृतीय श्रेणी | 5200–20200 | — | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 5 | |
| 27 | सहायक ग्रेड–2 | तृतीय श्रेणी | 5200–20200 | — | 58 | 58 | — | 49 | 49 | — | 9 | 9 | — |
| 28 | डाटा एण्ट्री आपरेटर | तृतीय श्रेणी | 5200–20200 | 27 | — | 27 | 14 | — | 14 | 13 | — | 13 | 05 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 29 | सहायक ग्रेड–3 | तृतीय श्रेणी | 5200–20200 | 77 | 25 | 102 | 33 | 6 | 39 | 44 | 19 | 63 | सीधी भर्ती के 11 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 30 | स्टेनो टाईपिस्ट | तृतीय श्रेणी | 5200–20200 | 2 | — | 2 | — | — | — | 2 | — | 2 | 01 पद पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 31 | वाहन चालक | तृतीय श्रेणी | 5200–20200 | 17 | — | 17 | 5 | — | 5 | 12 | — | 12 | 05 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध 02 संविदा में कार्यरत |
| | योग | | | 212 | 181 | 393 | 117 | 122 | 239 | 95 | 60 | 155 | |
| 32 | लैब अटेंडेंट | चतुर्थ श्रेणी | 4750–7440 | 2 | — | 2 | — | — | — | 2 | — | 2 | 02 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 33 | दफ्तरी | चतुर्थ श्रेणी | 4750–7440 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 34 | भृत्य | चतुर्थ श्रेणी | 4750–7440 | 72 | — | 72 | 31 | — | 31 | 41 | — | 41 | — |
| 35 | चौकीदार | चतुर्थ श्रेणी | 4750–7440 | 12 | — | 12 | 3 | — | 3 | 9 | — | 9 | 03 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 36 | स्वीपर | चतुर्थ श्रेणी | 4750–7440 | 2 | — | 2 | — | — | — | 2 | — | 2 | 02 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन |
| 37 | वाहन चालक | चतुर्थ श्रेणी | (जिलाध्यक्षदर) | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — |
| 38 | भृत्य | चतुर्थ श्रेणी | (जिलाध्यक्षदर) | 5 | — | 5 | — | — | — | 5 | — | 5 | — |
| 39 | चौकीदार | चतुर्थ श्रेणी | (जिलाध्यक्षदर) | 19 | — | 19 | 2 | — | 2 | 17 | — | 17 | — |
| 40 | अंशकालीन स्वीपर | चतुर्थ श्रेणी | (जिलाध्यक्षदर) | 3 | — | 3 | 2 | — | 2 | 1 | — | 1 | — |
| | योग | | | 116 | 1 | 117 | 38 | — | 38 | 74 | 1 | 79 | |
| | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | 180 | 85 | 267 | |

# 3.2 श्रमायुक्त संगठन (मुख्यालय) का अमला

| क्र | पदनाम | वेतनमान | ग्रेड वेतन | वेतन लेबल | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | श्रमायुक्त | भा0प्र0से0 | — | 17 | 1 | 1 | — | सुपर टाईम स्केल |
| 2. | अपर श्रमायुक्त | 37400—67000 | 8700 | 15 | 2 | — | 2 | — |
| 3. | संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा | 15600—39100 | 8700 | 15 | 1 | — | 1 | |
| 4. | उप श्रमायुक्त | 15600—39100 | 7600 | 14 | 2 | 2 | — | |
| 5. | सहायक श्रमायुक्त | 15600—39100 | 6600 | 13 | 2 | 2 | — | |
| 6. | उप संचालक, औ .स्वा. एवं सुरक्षा | 15600—39100 | 6600 | 13 | 1 | 1 | — | |
| 7. | श्रम पदाधिकारी | 15600—39100 | 5400 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
| 8. | सहायक संचालक, औ. स्वा.एवं सुरक्षा | 15600—39100 | 5400 | 12 | 4 | 4 | — | |
| 9. | विधि अधिकारी | 15600—39100 | 5400 | 12 | 1 | — | 1 | प्रतिनियुक्ति का पद |
| 10 | सहायक लेखाधिकारी | 9300—34800 | 4300 | 9 | 1 | 1 | — | |
| 11. | सहायक श्रम पदाधिकारी | 9300—34800 | 4300 | 9 | 14 | 5 | 9 | |
| 12. | सहायक सांख्यिकी अधिकारी | 9300—34800 | 4300 | 9 | 1 | — | 1 | प्रतिनियुक्ति का पद |
| 13. | अधीक्षक | 9300—34800 | 4300 | 9 | 1 | — | 1 | |
| 14. | सहायक अधीक्षक | 9300—34800 | 4200 | 9 | 1 | 1 | — | |
| 15 | श्रम निरीक्षक | 5200—20200 | 2800 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | श्रम उप निरीक्षक | 5200—20200 | 2400 | 6 | 2 | 4 | — | 02 अधिक |
| 17. | स्टेनोग्राफर—2 | 9300—34800 | 4300 | 8 | 1 | 1 | — | |
| 18 | स्टेनोग्राफर—3 | 5200—20200 | 2800 | 7 | 3 | — | 3 | |
| 19 | डाटाएन्ट्री आपरेटर | 5200—20200 | 2400 | 6 | 1 | 1 | — | |
| 20. | सहायक वर्ग—1 | 5200—20200 | 2800 | 7 | 2 | — | 2 | |
| 21. | सहायक वर्ग—2 | 5200—20200 | 2400 | 6 | 8 | 8 | — | |
| 22. | सहायक वर्ग—3 | 5200—20200 | 1900 | 5 | 18 | 9 | 9 | |
| 23. | स्टेनोटाईपिस्ट | 5200—20200 | 1900 | 5 | 2 | — | 2 | |
| 24. | वाहन चालक | 5200—20200 | 1900 | 5 | 5 | 4 | 1 | 02 पद संविदा से भरे |
| 25. | दफ्तरी | 4750—7440 | 1400 | 4 | 1 | — | 1 | |
| 26. | भृत्य | 4750—7440 | 1300 | 1 | 5 | 5 | — | |
| 27. | वाहन चालक | जिलाध्यक्ष दर | | | 1 | 2 | — | 01 अधिक |
| 28. | भृत्य | जिलाध्यक्ष दर | | | 5 | — | 5 | |
| 29. | चौकीदार | जिलाध्यक्ष दर | | | 2 | 1 | 1 | |
| | **योग** | | | | **92** | **54** | **38** | |

Scanned with OKEN Scanner

## 3.3 श्रमायुक्त संगठन (मैदानी अमला)

| क्र. | पदनाम | वेतनमान | ग्रेड वेतन | वेतन लेबल | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सहायक श्रमायुक्त | 15600–39100 | 6600 | 13 | 04 | 03 | 01 | – |
| 2. | श्रम पदाधिकारी | 15600–39100 | 5400 | 12 | 23 | 07 | 16 | – |
| 3. | सहायक श्रम पदाधिकारी | 9300–34800 | 4300 | 9 | 04 | 02 | 02 | – |
| 4. | श्रम निरीक्षक | 5200–20200 | 2800 | 7 | 70 | 62 | 08 | – |
| 5. | श्रम उप निरीक्षक | 5200–20200 | 2400 | 6 | 45 | 41 | 04 | – |
| 6. | सहायक ग्रेड–1 | 5200–20200 | 2800 | 7 | 02 | – | 02 | – |
| 7. | सांख्यिकीय पर्यवेक्षक | 5200–20200 | 2800 | 7 | 01 | – | 01 | – |
| 8. | सहायक ग्रेड–2 | 5200–20200 | 2400 | 6 | 35 | 30 | 05 | – |
| 9. | सहायक ग्रेड–3 | 5200–20200 | 1900 | 4 | 53 | 24 | 29 | – |
| 10. | डाटा एन्ट्री आपरेटर | 5200–20200 | 2400 | 6 | 19 | 08 | 11 | – |
| 11. | वाहन चालक | 5200–20200 | 1900 | 4 | 04 | – | 04 | – |
| 12. | भृत्य | 4750–7440 | 1300 | 1 | 45 | 22 | 23 | – |
| 13. | चौकीदार | 4750–7440 | 1300 | 1 | 07 | 03 | 04 | – |
| 14. | चौकीदार | (जिलाध्यक्ष दर पर) | | | 16 | – | 16 | – |
| | **योग** | | | | **328** | **202** | **126** | **–** |



Scanned with OKEN Scanner

## 3.4 श्रमायुक्त संगठन (मैदानी अमला) (औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा)

| क्र. | पदनाम | वेतनमान | ग्रेड वेतन | वेतन लेबल | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | उप संचालक | 15600–39100 | 6600 | 13 | 07 | 06 | 01 | |
| 2. | उप संचालक (चिकित्सा) | 15600–39100 | 6600 | 13 | 01 | – | 01 | |
| 3. | सहायक संचालक | 15600–39100 | 5400 | 12 | 16 | 13 | 03 | |
| 4. | सहायक संचालक (चिकित्सा) | 15600–39100 | 5400 | 12 | 01 | 01 | – | प्रतिनियुक्ति से पदस्थ |
| 5. | सहायक संचालक (हाईजीन) | 15600–39100 | 5400 | 12 | 01 | – | 01 | |
| 5. | केमिस्ट | 9300–34800 | 4200 | 8 | 04 | 01 | 03 | |
| 6. | सहायक ग्रेड–2 | 5200–20200 | 2400 | 6 | 11 | 10 | 01 | |
| 7. | लैब असिस्टेंट | 5200–20200 | 2400 | 4 | 02 | – | 02 | |
| 8. | डाटा एन्ट्री आपरेटर | 5200–20200 | 2400 | 6 | 05 | 03 | 02 | |
| 9. | सहायक ग्रेड–3 | 5200–20200 | 1900 | 4 | 25 | 04 | 21 | |
| 10. | वाहन चालक | 5200–20200 | 1900 | 4 | 08 | 01 | 07 | |
| 11. | लैब अटेन्डेन्ट | 4750–7440 | 1300 | 1 | 02 | – | 02 | |
| 12. | भृत्य | 4750–7440 | 1300 | 1 | 16 | 06 | 10 | |
| 13. | चौकीदार | 4750–7440 | 1300 | 1 | 05 | 01 | 04 | |
| 14. | स्वीपर | 4750–7440 | 1300 | 1 | 02 | – | 02 | |
| 15. | वाहन चालक | जिलाध्यक्ष दर पर | | | 01 | – | 01 | |
| 16. | चौकीदार | जिलाध्यक्ष दर पर | | | 01 | – | 01 | |
| 17. | अंशकालीन स्वीपर | जिलाध्यक्ष दर पर | | | 03 | 02 | 01 | |
| | **योग** | | | | **111** | **48** | **63** | |

## 3.5 छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल हेतु अमला

| क्र. | पदनाम | वेतनमान | ग्रेड वेतन | वेतन लेबल | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | उप श्रमायुक्त | 15600–39100 | 7600 | 14 | 01 | – | 01 | |
| 2. | सहायक श्रमायुक्त | 15600–39100 | 6600 | 13 | 01 | – | 01 | |
| 3. | श्रम पदाधिकारी | 15600–39100 | 5400 | 12 | 02 | – | 02 | |
| 4. | लेखाधिकारी | 15600–3900 | 5400 | 12 | 01 | – | 01 | प्रतिनियुक्ति का पद |
| 5. | श्रम निरीक्षक | 5200–20200 | 2800 | 7 | 30 | 01 | 29 | |
| 6. | सहायक ग्रेड–1 | 5200–20200 | 2800 | 7 | 01 | – | 01 | |
| 7. | सहायक ग्रेड–2 | 5200–20200 | 2400 | 6 | 02 | 02 | – | |
| 8. | सहायक ग्रेड–3 | 5200–20200 | 1900 | 4 | 04 | 01 | 03 | |
| 9. | डाटा एन्ट्री आपरेटर | 5200–20200 | 2200 | 6 | 02 | 02 | – | |
| 10. | भृत्य | 4750–7440 | 1300 | 1 | 04 | – | 04 | |
| | **योग** | | – | – | **48** | **06** | **42** | |



Scanned with OKEN Scanner

# 4. भारत के संविधान के भाग 3 ('मूल अधिकार') और भाग 4 ('राज्य की नीति के निदेशक तत्व') के "श्रम" संबंधी प्रावधान

## मूल अधिकार

### स्वतंत्रता का अधिकार

**अनुच्छेद 19 : वाक्–स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण**

(1) सभी नागरिकों को –

(ग) संगम या संघ बनाने का अधिकार होगा।

### शोषण के विरूद्ध अधिकार

**अनुच्छेद 23 : मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध**

(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

**अनुच्छेद 24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध**

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

## राज्य की नीति के निदेशक तत्व

**अनुच्छेद 39 : राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व**

राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से –

(क) पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो,

(घ) पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो,

(ङ) पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों,

(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

Scanned with OKEN Scanner

**अनुच्छेद 41 : कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार**

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

**अनुच्छेद 42 : काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध**

राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।

**अनुच्छेद 43 : कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि**

राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योगों के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन–स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

**अनुच्छेद 43–क : उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना**

राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।

"श्रम" संबंधी अधिकांश महत्वपूर्ण विषय संविधान की समवर्ती सूची में है, जिसकी सुसंगत प्रविष्टियों का उद्धरण निम्नानुसार है :–

22. व्यापार संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद
23. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी
24. श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशायें, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं।

समवर्ती सूची के उक्त विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद और राज्य के विधान–मण्डल दोनों सक्षम हैं।

Scanned with OKEN Scanner

# 5. श्रम अधिनियमों की सूची

संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में अनेक श्रम कानून बनाये गये हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण श्रम कानूनों की एक सूची निम्नानुसार है (इस सूची में उल्लेखित जिन कानूनों के नाम ''छत्तीसगढ़'' से आरंभ होते हैं, वे राज्य अधिनियम हैं तथा शेष केन्द्रीय अधिनियम हैं) :–

## I. औद्योगिक संबंध विषयक कानून

- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
- छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960
- व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926
- औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
- छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961

## II. मजदूरी संबंधी कानून

- वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
- न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
- बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

## III. औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सामान्य कानून

- कारखाना अधिनियम, 1948
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986–विशेषतः उसके अंतर्गत बनाये गये निम्नलिखित नियम :
  (क) परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989
  (ख) रासायनिक दुर्घटना (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996
- खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983

## IV. कतिपय विशिष्ट प्रकार के नियोजनों में कार्यदशाओं के विनियमन संबंधी कानून

- छ0ग0 दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017
- बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966
- संविदा श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
- मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961



Scanned with OKEN Scanner

- ...) अधिनियम, 1996
- अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979
- विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976
- श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955
- सिने कर्मकार तथा सिनेमागृह कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981

## V. महिला समानता एवं सशक्तिकरण संबंधी कानून

- मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

## VI. श्रमिकों के कमजोर वर्गों से संबंधित कानून

- बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976
- बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016

## VII. सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानून

- कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
- उपादान भुगतान अधिनियम, 1972
- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

## VIII. श्रम कल्याण निधियों संबंधी कानून

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
- बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 तथा संबंधित उपकर अधिनियम
- लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1976
- चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1972
- छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982

## IX. विविध

- श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988

# 6. महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का दायित्व

| क्र. | श्रम कानून का नाम | कार्यान्वयन का दायित्व | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पूर्णतः केंद्र सरकार | पूर्णतः राज्य सरकार | दोनों सरकारों का आंशिक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 | | | ✓ |
| 2 | छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 | | ✓ | |
| 3 | व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 | | ✓ | |
| 4 | औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 | ✓ | | |
| 5 | छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 | | ✓ | |
| 6 | वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 | | | ✓ |
| 7 | न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 | | | ✓ |
| 8 | बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 | | | ✓ |
| 9 | कारखाना अधिनियम, 1948 | | ✓ | |
| 10 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 | | | ✓ |
| 11 | खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 | | ✓ | |
| 12 | छ0ग0 दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 | | ✓ | |
| 13 | बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 | | ✓ | |
| 14 | संविदा श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 | | | ✓ |
| 15 | मोटर परिवहन कर्मकार अधिनिमय, 1961 | | ✓ | |
| 16 | भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 | | | ✓ |



Scanned with OKEN Scanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 | | ✓ | |
| 18 | अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 | | | ✓ |
| 19 | विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 | | | ✓ |
| 20 | श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 | | | ✓ |
| 21 | सिने कर्मकार तथा सिनेमागृह कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981 | ✓ | | |
| 22 | मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 | | | ✓ |
| 23 | समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 | | | ✓ |
| 24 | बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 | | ✓ | |
| 25 | बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016 | | | ✓ |
| 26 | कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 | | | ✓ |
| 27 | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 | | | ✓ |
| 28 | कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 | ✓ | | |
| 29 | उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 | | | ✓ |
| 30 | बीड़ी कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1976 | ✓ | | |
| 31 | लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 | ✓ | | |
| 32 | चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1972 | ✓ | | |
| 33 | छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 | | ✓ | |
| 34 | श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं का छूट) अधिनियम, 1988 | | | ✓ |
| 35 | असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 | | | ✓ |



Scanned with OKEN Scanner

# 7. औद्योगिक संबंध

प्रदेश में औद्योगिक संबंधों के नियमन के लिये दो प्रमुख श्रम कानून छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 प्रभावशील है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 प्रदेश की ऐसी समस्त अनुसूचित औद्योगिक इकाईयों पर लागू है, जहां विगत एक वर्ष में किसी भी कार्य दिवस में 100 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित उद्योगों की सूची निम्नानुसार है :–

- चावल मिल
- तेल मिल
- चूना उद्योग
- प्रिन्टिंग प्रेस
- एसबेस्टस, सीमेंट
- शैलाक (चपड़ा)
- फ्लोअर मिल
- बिस्किट एवं कन्फेक्शनरी
- ग्लास
- वनस्पति घी (हाईड्रोजनेटेड आईल)
- रबर
- कत्था
- नान मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट्स
- जिलेटिन इन्डस्ट्रीज
- फर्टिलाईजर्स जिन्हें उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 18 में दर्शाया है।

**कंडिका 18 – फर्टिलाईजर**

(1) इनआर्गनिक फर्टिलाईजर।

(2) आर्गनिक।

(3) मिश्रित फर्टिलाईजर।

- ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स् जिन्हें उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 22 में दर्शाया गया है :



Scanned with OKEN Scanner

## कंडिका 22 – ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स्

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 एक केन्द्रीय अधिनियम है। यह अधिनियम प्रदेश के समस्त उद्योगों, कारखानों, उपक्रमों तथा स्थापनाओं पर लागू है जिसके लिये राज्य समुचित सरकार है तथा इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित उद्योगों की सूची से भिन्न उद्योग भी सम्मिलित हैं।

इस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय अधिकारियों द्वारा कारखानों, संस्थानों उपक्रमों, स्थापनाओं आदि में हड़ताल, तालाबंदी, बंदी अथवा छंटनी इत्यादि औद्योगिक विवादों पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाती है तथा त्वरित रूप से हस्तक्षेप करते हुए श्रमिकों, श्रमिक संघों एवं नियोक्ता के मध्य चर्चा कर विद्यमान औद्योगिक विवाद एवं समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जाता है।

## 7.1 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत कार्यवाही

औद्योगिक विवाद उद्भूत होने की दशा में सुलह अधिकारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) के अंतर्गत औद्योगिक विवाद हस्तगत कर सुलह की कार्यवाही करते हैं। इसके असफल होने पर विवाद को श्रम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। वर्ष 2018 के दौरान मुख्यालय को 152 असफल प्रतिवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 123 प्रकरण श्रम न्यायालय को अधिनिर्णयार्थ संदर्भित किये गये हैं। लंबित 29 प्रकरणों में कार्यवाही निरंतरित है।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 31 के अंतर्गत कोई भी नियोजक, अथवा कर्मचारियों का कोई भी प्रतिनिधि किसी औद्योगिक विषय में परिवर्तन के संबंध में कोई सूचना/विवाद सुलह अधिकारी को दे सकता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर सुलह अधिकारी विवाद को हस्तगत कर सुलह की कार्यवाही सम्पादित करता है। सुलह न होने की स्थिति में विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 43(5) में असफल घोषित कर विवाद को सम्बन्धित श्रम न्यायालय को संदर्भित करने हेतु मुख्य सुलहकार को प्रेषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 51 में श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय या बोर्ड को संदर्भित करने के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाते हैं।

प्रदेश के श्रम न्यायालयों से निर्णित 259 प्रकरण अभिस्वीकृति हेतु श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर को प्राप्त हुआ। सभी प्रकरणों में अभिस्वीकृतियां जारी की गई। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 34 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति दी जाती है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान सक्षम न्यायालय द्वारा समुचित शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की मंजूरी पर ही किया जा सकता है। इस संबंध में श्रमायुक्त कार्यालय में वर्ष 2017 के 17 आवेदन लंबित थे। वर्ष 2018 में 23 अभियोजन स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त हुए। कुल 40 आवेदनों में निरंतर सुनवाई कर 36 आवेदनों का निराकरण किया गया। शेष 04 में कार्यवाही निरंतरित है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33(सी)(1) राजस्व वसूली प्रमाण पत्र के अंतर्गत वर्ष 2018 में कुल 06 प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए 06 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

# 8.व्यवसायिक संघ अधिनियम, 1926

श्रमिक वर्ग प्रायः आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े होते है। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को संगठित करने के उद्देश्य से व्यवसायिक संघ अधिनियम, 1926 प्रभावशील किया गया है। व्यवसायिक संघ अधिनियम, 1926 मुख्यतः श्रमिक संगठनों के पंजीयन के लिए निर्मित केन्द्रीय अधिनियम है। इस अधिनियम के अनुसार किसी संस्थान अथवा व्यवसाय में कार्यरत न्यूनतम 07 श्रमिक, संगठन पंजीकृत कराने की पात्रता रखते है। केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 09 जनवरी 2002 द्वारा उक्त अधिनियम में किये गये संशोधन के अनुसार व्यवसायिक संघ के पंजीयन के लिए आवेदन के दिनांक को, ऐसे संघ की सदस्यता, उस संस्थान अथवा उस व्यवसाय में कार्यरत कुल श्रमिकों के 10 प्रतिशत अथवा 100 श्रमिक, जो भी कम हो होना अनिवार्य है, किंतु 70 अथवा इससे कम नियोजन पर न्यूनतम सदस्यता 07 आवश्यक है।

पंजीयक, व्यवसायिक संघ की नियुक्ति व्यवसायिक संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा की जाती है। पंजीयक, व्यवसायिक संघ द्वारा श्रमिक संघों का पंजीयन किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत, व्यवसायिक संघ में कम से कम आधे पदाधिकारी वास्तविक रूप से उस उद्योग में, जिससे व्यवसायिक संघ संबंधित हो, का होना अनिवार्य है। अन्य व्यवसायिक संघ के पदाधिकारियों की कुल संख्या की एक तिहाई से अधिक या पांच, जो भी कम हो, उसी उद्योग या व्यवसाय में वास्तविक रूप से होना चाहिए। गुण–दोष के आधार पर पंजीयक द्वारा संघ का पंजीयन किया जावेगा अथवा निरस्त किया जा सकेगा। पंजीकृत व्यवसायिक संघ 31 दिसम्बर की स्थिति में अपने आय–व्यय संबंधी लेखा का वार्षिक विवरण प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक पंजीयक को प्रस्तुत करने का प्रावधान है। इसी प्रकार संघ के अनुमोदित विधान अनुसार निर्वाचन सम्पन्न कर निर्वाचन संबंधी माहिती एवं पदाधिकारियों का विवरण पंजीयक को लिपिबद्ध करने हेतु प्रस्तुत करेगा। संघ के पंजीयन हेतु आवेदन अथवा संघ के पंजीयन प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के विरूद्ध औद्योगिक न्यायालय में अपील किये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2018 में कार्यालय को पंजीयन हेतु 47 आवेदन प्राप्त हुआ। इसमें से 44 का पंजीयन किया गया तथा 03 आवेदनों में त्रुटि सुधार हेतु आवेदक संघों को पत्र लिखा गया है। वर्ष 2018 में व्यवसायिक संघ अधिनियम 1926 के प्रावधानों एवं नियमों का पालन नहीं करने पर 56 पंजीकृत संघो का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त किया गया। 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में प्रदेश में 505 व्यवसायिक संघ पंजीकृत हैं।

पंजीकृत श्रम संगठन इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक), भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.), हिन्द मजदूर सभा (एच.एम.एस.), ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू), हिन्द मजदूर किसान परिषद (एच.एम.के.पी.), ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इण्डिया (टी.यू.सी.आई.), ऑल इण्डिया सेन्ट्रल कौंशिल ऑफ ट्रेड यूनियन (एक्टू), नेशनल फ्रन्ट ऑफ इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन जैसे केन्द्रीय श्रम संगठनों से संबद्ध है। अधिकांश श्रमिक संगठन किसी भी केन्द्रीय श्रम संगठन से संबद्ध नहीं है।



Scanned with OKEN Scanner

# 9.श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन

श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने, उनके श्रम का उचित प्रतिफल दिलाने तथा उनके कार्य की दशा, उनके कार्य के घण्टे एवं अवकाश आदि सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न श्रम अधिनियम प्रभावशील हैं। वर्तमान परिदृश्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से केन्द्र शासन की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के परिपालन में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है :–

## 9.1 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

**9.1.1** कारखाना अधिनियम, 1948 अंतर्गत लाइसेंस की प्रक्रिया में नक्शों का अनुमोदन, निर्माण/विस्तार या किसी भवन को कारखाने के रूप में उपयोग करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने अथवा नवीनीकरण संबंधी समस्त कार्य ऑनलाईन किया जा रहा है।

**9.1.2** संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम 1979, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, बीड़ी एवं सिगार श्रमिक (नियोजन शर्तें) अधिनियम 1966 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीयन, पंजीयन में संशोधन, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति में संशोधन, अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण आदि हेतु संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन की जा रही है।

**9.1.3** विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन की प्रक्रिया में श्रम निरीक्षकों द्वारा स्वविवेक से निरीक्षण करने को पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए online computerized randomized allocation of inspections to inspectors प्रणाली से श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ के नियंत्रण में निरीक्षकों द्वारा संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है।

**9.1.4** श्रम अधिनियमों के परिपालन में सुधार एवं सरलीकरण के दृष्टिकोण से एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में विभागीय वेबपोर्टल में 30 जून तक निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन विवरणी संस्थानों द्वारा प्रेषित करने का प्रावधान किया गया है।

**9.1.5** विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन/अनुज्ञप्तियों को जारी करने की समय–सीमा दिवस निर्धारित करते हुए उन्हें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा अधिसूचित कर दिया गया है।

**9.1.6** विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत जारी किये जाने वाले पंजीयन, अनुज्ञप्ति एवं निरीक्षकों द्वारा संपादित संस्थानों के निरीक्षण को ऑनलाईन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

## 9.2 मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशें

समाचार पत्र संस्थानों में कार्यरत पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1955 के अंतर्गत किया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कर्मचारियों का वेतन निर्धारण वेज बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में मजीठिया वेजबोर्ड की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.11.2011 को अधिसूचना जारी कर पत्रकारों एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों हेतु वेतन/भत्ते का निर्धारण किया गया है। वेजबोर्ड की अनुशंसा अनुसार कर्मचारियो को वेतन भुगतान नहीं किये जाने के कारण 83 कर्मचारियों के आवदेन धारा 17(1) के तहत कार्यवाही करते हुए श्रम न्यायालय में संदर्भित किये गये हैं।

## 9.3 श्रम अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षण एवं अभियोजन

9.3.1 राज्य में श्रमिकों को श्रम कानूनों के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों का लाभ दिलाने हेतु वर्ष में किये गये निरीक्षण एवं अभियोजन संबंधी कार्यवाही का विवरण संलग्न **प्रपत्र– एक** एवं **प्रपत्र– दो** में उल्लेख किया गया है।

9.3.2 राज्य में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत ऑनलाईन पंजीयन अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्ति नवकरण की 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक की जानकारी **प्रपत्र–तीन** में दर्शित है।

9.3.3 राज्य में बीड़ी एवं सिगार के संस्थानों तथा उनमें कार्यरत परिचय–पत्र धारक बीड़ी श्रमिकों की जानकारी **प्रपत्र–चार** में दर्शित है।

9.3.4 ठेका श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत देय प्रावधानों का हितलाभ दिलाये जाने हेतु ठेका श्रमिकों को परिचय पत्र प्रदान करने तथा बैंक से मजदूरी भुगतान कराने हेतु विशेष अभियान चलाया गया एवं ठेका श्रमिकों को ई0एस0आई/ई0पी0एफ0 के दायरे में लाये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी **प्रपत्र–पांच** एवं **प्रपत्र–छः** में दर्शाया गया है।

9.3.5 ईज ऑफ डुईंग बिजनेस के अंतर्गत रेंडम निरीक्षण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने हेतु वेब पोर्टल द्वारा निर्धारित संस्थानों का निरीक्षण किया गया, जिसका विस्तृत विवरण **प्रपत्र–सात** में दर्शित है।

Scanned with OKEN Scanner

| क्र. | अधिनियम का नाम | संपादित निरीक्षण संख्या | दायर अभियोजन | निराकृत अभियोजन संख्या | न्यायालय द्वारा अधिरोपित राशि | न्यायालय में लंबित अभियोजन की संख्या | दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत समझौता प्रकरणों की संख्या | वसूल की गई समझौता राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 523845.00 |
| 2. | न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 | | | | | | | |
| | (अ) (सामान्य नियोजन) | 105 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | - |
| | (ब) (कृषि नियोजन) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - |
| 3. | बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - |
| 4. | बीड़ी व सिगार कामगार अधिनियम, 1966 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - |
| 5. | उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - |
| 6. | श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - |
| 7. | संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970 | 34 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | - |
| 8 | मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - |
| 9 | समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 | 41 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | - |
| 10 | अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 | 23 | 14 | 0 | 0.00 | 14 | - | - |
| 11 | बाल श्रमिक अधिनियम, 1986 | 83 | 15 | 1 | 13000.00 | 14 | - | - |
| 12 | मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - |
| 13 | श्रम जीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1965 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - |
| 14. | औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - |
| 15. | भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 | 13 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | - | - |
| 16. | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | - |
| | **योग** | **413** | **38** | **1** | **13000.00** | **37** | **1031** | **5[illegible]845.00** |

Scanned with OKEN Scanner

# प्रपत्र–दो

## श्रम कानूनों के तहत न्यायालय में दायर दावा एवं कार्यालयीन प्रयासों से मजदूरी भुगतान के निराकृत प्रकरण संबंधी विवरण

(01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक)

| क्र. | अधिनियम का नाम | न्यायालय में दायर दावा प्रकरण | | | | | न्यायालय के बाहर भुगतान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रकरण संख्या | दावा राशि | | | प्रभावित श्रमिक संख्या | प्रकरण की संख्या | भुगतान राशि | लाभान्वित श्रमिक संख्या |
| | | | अंतर की राशि | क्षतिपूर्ति की राशि | कुल राशि | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948<br>(अ) (सामान्य नियोजन)<br>(ब) (कृषि नियोजन) | 3<br>0 | 1022504<br>0 | 10358340<br>0 | 11380844<br>0 | 21<br>0 | 7<br>354 | 394740<br>1100600 | 55<br>647 |
| 2. | वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 | 4 | 293665 | 1336650 | 1630315 | 20 | 95 | 3341168 | 294 |
| | **योग** | **7** | **1316169** | **11694990** | **13011159** | **41** | **456** | **4836508** | **996** |



Scanned with OKEN Scanner

# प्रपत्र–तीन

## अनुज्ञप्ति/पंजीयन एवं शुल्क संबंधी विवरण

(01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक)

| क्र. | अधिनियम का नाम | विवरण | प्राप्त आवेदन | निरस्त | अनुमोदित | लंबित | श्रमिक संख्या | शुल्क | प्रतिभूति राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ठेका श्रमिक अधिनियम, 1970 | पंजीयन | 146 | 55 | 69 | 22 | - | 5820 | - |
| | | नवीन अनुज्ञप्ति | 771 | 246 | 437 | 88 | 15178 | 41440 | 15178000.00 |
| | | नवीनीकरण | 912 | 98 | 411 | 403 | 18701 | 48920 | - |
| 2 | अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 | पंजीयन | 10 | 3 | 4 | 3 | - | 440 | - |
| | | नवीन अनुज्ञप्ति | 15 | 7 | 7 | 1 | 190 | 580 | 190000.00 |
| | | नवीनीकरण | 22 | 1 | 17 | 4 | 610 | 2020 | - |
| 3 | मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 | पंजीयन | 72 | 2 | 34 | 36 | 2114 | 11400 | - |
| 4 | भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 | पंजीयन | 617 | 123 | 389 | 105 | 12047 | 80400 | - |
| | **योग** | | **2565** | **535** | **1368** | **662** | **48840** | **191020** | **15368000.00** |

Scanned with OKEN Scanner

# प्रपत्र–चार

## बीड़ी एवं सिगार संस्थानों तथा श्रमिकों की संख्या

(01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक)

| क्र. | पंजीकृत संस्थानों की संख्या | परिसर में कार्यरत श्रमिकों की संख्या | घरखाता श्रमिकों की संख्या | कुल श्रमिक संख्या | परिचय पत्र धारक श्रमिकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 16 | 52 | 3422 | 3474 | 2318 |

# प्रपत्र–पाँच

## श्रमिकों को बैंक से भुगतान/परिचय पत्र प्रदाय संबंधी जानकारी

| क्र. | श्रमिक प्रवर्ग | 31.12.18 की स्थिति में | | | | | | निर्देशों का पालन नही करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण | | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | श्रमिकों की कुल संख्या | अनुज्ञप्तिधारी ठेकेदारों की कुल संख्या | बैंक से वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या | परिचय पत्र प्राप्त करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या | कितने श्रमिकों को बैंक से भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है। | कितने श्रमिकों को परिचय पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। | निरस्त किये गये अनुज्ञप्तियों की संख्या | राजसात किये गये प्रकरणों की संख्या | राजसात की गई राशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ठेका श्रमिक | 59767 | 1521 | 35326 | 37348 | 24441 | 22419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक | 10698 | 262 | 3665 | 3175 | 7033 | 7523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ठेका सफाई श्रमिक | 1551 | 81 | 653 | 278 | 898 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **योग** | **72016** | **1864** | **39644** | **40801** | **32372** | **31215** | **0** | **0** | **0** | **0** |



Scanned with OKEN Scanner

# प्रपत्र–छः

## ठेका श्रमिकों को ई.एस.आई./ई.पी.एफ. के दायरे में लाया जाना

(01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक)

| क्र. | विवरण | कुल कार्यरत ठेका श्रमिकों की संख्या | दायरे में लाये गये ठेका श्रमिकों की संख्या | शेष ठेका श्रमिकों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ठेका श्रमिकों को ई0एस0आई0 के दायरे में लाया जाना | 8617 | 4293 | 4324 |
| 2 | ठेका श्रमिकों को ई0पी0एफ0 के दायरे में लाया जाना | 5867 | 4559 | 1308 |

# प्रपत्र–सात

## विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत वेब पोर्टल द्वारा निर्धारित संस्थानों के निरीक्षण की जानकारी

(01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक)

| क्र. | अधिनियम का नाम | निरीक्षण संख्या | प्राप्त पालन प्रतिवेदन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 | 105 | 80 |
| 2 | बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 | 31 | 20 |
| 3 | उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 | 30 | 20 |
| 4 | श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 | 32 | 17 |
| 5 | संविदा श्रमिक [illegible] | 34 | 21 |
| 6 | मातृत्व हितलाभ [illegible] 1961 | 13 | 5 |
| 7 | समान परिश्रमि[illegible], 1976 | 41 | 30 |
| | योग | 286 | 193 |

## 9.4 श्रम विधियों में संशोधन

**9.4.1** प्रदेश में प्रचलित छ0ग0 दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के स्थान पर अधिनियम का सरलीकरण किया जाकर छ0ग0 दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 अधिसूचना दिनांक 23.08.2018 द्वारा राज्य में प्रभावशील की गई है।

**9.4.2** छ.ग. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 में संशोधन करते हुए कर्मचारियों की संख्या की सीमा को 20 से अधिक के स्थान पर 30 से अधिक करते हुए सूक्ष्म एवं छोटे उद्योगों को छूट प्रदान किया जा कर दण्ड की राशि में वृद्धि करने संबंधी प्रावधान कर छ0ग0 औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अधिनियम, 2017 अधिसूचना दिनांक 02.02.2018 से राज्य में प्रभावशील की गई है।

**9.4.3** भारत शासन की अनुशंसाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 भी विधान सभा के मानसून सत्र में दिनांक 03.08.2017 को पारित किया गया। उक्त विधेयक के अंतर्गत निम्नलिखित केन्द्रीय अधिनियमों को समाविष्ट किया गया है :–

(i) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27)

(ii) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28)

(iii) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37)

(iv) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 14)

(v) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)

(vi) औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960

(vii) अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 का 30)

(viii) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27)

(ix) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16)

(x) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25)

(xi) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11)

(xii) उपादान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39)

उपरोक्त उल्लेखित अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदय के स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जो कि अभी अप्राप्त है।

Scanned with OKEN Scanner

# 10. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972

**10.1** उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कर्मचारियों को नियमानुसार सेवानिवृत्ति अथवा सेवा समाप्ति के पश्चात् अपने नियोजक से उपादान प्राप्त करने की पात्रता होती है। नियोजक द्वारा उपादान का भुगतान नहीं करने अथवा उपादान के संबंध में कर्मचारी एवं नियोजक के मध्य विवाद विद्यमान होने पर, ऐसे विवाद की सुनवाई जिला कार्यालयों में पदस्थ नियंत्रण प्राधिकारियों (सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी) द्वारा की जाती है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत वर्ष में प्राप्त एवं निर्णित प्रकरणों का विवरण निम्नवत् है :–

| क्र. | पंजीकृत प्रकरणों की संख्या | निर्णित प्रकरणों की संख्या | निर्णित उपादान की राशि | लाभान्वित श्रमिकों की संख्या | लंबित प्रकरणों की संख्या | आर.आर. सी. हेतु प्राप्त प्रकरणों की संख्या | आर.आर.सी. जारी करने संबंधी प्रकरणों की संख्या | लाभान्वित श्रमिक संख्या | जारी आर.आर. सी. की राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 1. | 153 | 110 | 3,13,55,243 | 110 | 43 | 12 | 12 | 12 | 38,58,390 |

**10.2** उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत विभाग के मैदानी कार्यालयों के नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (7) के अंतर्गत वर्ष 2017 के पूर्व लम्बित प्रकरणों की संख्या 144 एवं वर्ष 2018 में 208 अपील आवेदन प्रकरण प्राप्त हुये। कुल 352 अपील आवेदन प्रकरणों में से 290 अपील आवेदन प्रकरणों का निराकरण करते हुये ग्रेच्युटी राशि 2,48,38,928 / – के भुगतान हेतु आदेश जारी किया गया, जिससे 133 श्रमिक लाभान्वित हुये। 55 प्रकरणों में सुनवाई निरंतरित है।

# 11. बोनस

वर्ष 2018 में (वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए) **85** संस्थानों द्वारा **11,623** श्रमिकों को रुपये **21,12,56,977.00** बोनस राशि का भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा कर्मकारों को किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

# 12. श्रमिकों के विशेष वर्गों के लिये कार्यक्रम

श्रमिकों के विशिष्ट कमजोर वर्गों (महिला श्रमिक, बाल श्रमिक, बीड़ी व बंधक श्रमिक) के संरक्षण एवं कल्याण के लिये कई वैधानिक प्रावधान प्रभावशील है, साथ ही इनके कल्याण हेतु शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उक्त संबंध में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :–

## 12.1 महिला श्रमिक

समस्त श्रम कानूनों में पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों के संरक्षण के विशेष प्रावधान है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 एवं प्रसूति हितलाभ अधिनियम, 1961 में महिला श्रमिकों के हित संरक्षण के लिये विशेष प्रावधान रखे गए है। समान पारिश्रमिक हित संरक्षण हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए पुरूषों के समान वेतन पाने का अधिकार है और इसमें भेद–भाव करना दंडनीय अपराध है। समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत महिलाओं के असमान वेतन की शिकायतें, दावा प्रकरणों का श्रवण करने के लिये विभाग के समस्त श्रम अधिकारियों एवं सहायक श्रमायुक्तों को प्राधिकारी नियुक्त किया गया है व उक्त संबंध में उप श्रमायुक्त को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है, साथ ही राज्य की समस्त पंचायतों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अर्थात् भुगतान हुये असमान वेतन के संबंध में निरीक्षक की शक्तियां प्रदान की गई है।

प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत महिला श्रमिकों को प्रसूति काल में 26 सप्ताह का संवैतनिक अवकाश एवं 2,500/– चिकित्सा बोनस के प्रावधान किये गये हैं।

## 12.2 बाल एवं किशोर श्रम

- बाल एवं किशोर श्रम संशोधन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत बालक या बालिका जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो उसे किसी भी नियोजन में नियोजित किया जाना तथा 14 वर्ष से 18 वर्ष के किशोर को 107 अधिसूचित प्रक्रिया एवं उपजीविकाओं में (खतरनाक क्षेत्र) नियोजित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
- 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को पारिवारिक व्यवसाय (खतरनाक क्षेत्र को छोड़कर) शाला समय के उपरांत सहयोग हेतु एवं कला क्षेत्र जैसे जैसे– ऑडियो, वीडियो मनोरंजन उद्योग, विज्ञापन, फिल्म उद्योग, टी.वी. सीरियल आदि मनोरंजन अथवा खेल गतिविधियों जिसमें सर्कस शामिल नहीं है, में बालकों की सुरक्षा के प्रबंध के साथ उनसे कार्य लिया जा सकता है।
- बाल श्रम अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना/लोक निर्माण

विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, उप अभियंता व मंडल संयोजक आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, परियोजना अधिकारी व पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग, सहायक प्रबंधक उद्योग विभाग, वन क्षेत्रपाल, उप वन क्षेत्र पाल, राजस्व निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, खनिज निरीक्षक, परिवहन निरीक्षक / परिवहन उप निरीक्षक, मत्स्य निरीक्षक को भी बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षक की शक्तियाँ प्रदान की गई है।

- बाल श्रम अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर के निर्देशन पर टॉस्क फोर्स गठित किया गया है। जिसमें श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस प्रशासन एवं राजस्व के कार्यपालिक अधिकारी सम्मिलित होते है, जिला कलेक्टरों को टॉस्क फोर्स के माध्यम से बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत सतत् निरीक्षण के निर्देश दिये गये है।
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के नवीन दिशा–निर्देश के अनुरूप बाल श्रमिक सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। बाल श्रमिकों का गुणात्मक सर्वेक्षण हेतु समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सहयोग से राज्य के सभी 27 जिलों के श्रम अधिकारियों एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के प्रतिनिधियों द्वारा बाल श्रमिकों के गुणात्मक सर्वेक्षण हेतु प्रशिक्षित किया गया है एवं जिला कलेक्टरों को बाल श्रम सर्वेक्षण के दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है। बाल श्रमिक सर्वेक्षण हेतु भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्रति जिले 4.00 लाख के मान 108.00 **लाख** आबंटन मांगा गया है। भारत सरकार से बाल श्रमिक सर्वेक्षण हेतु राशि प्राप्त होने पर तत्काल सर्वेक्षण की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।
- बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रभावी प्रवर्तन एवं बाल श्रम नियोजन के शिकायत के निवारण एवं अनुश्रवण हेतु 01 नवम्बर 2012 से टोल फ्री दूरभाष क्रमांक 1800–2332–197 स्थापित किया गया है।

## 12.3 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

- भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालन संबंधी नये दिशा–निर्देश दिनांक 01 अप्रैल 2016 से प्रभावशील है।
- उक्त दिशा–निर्देशों के तहत सभी जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति का गठन किया जा चुका है।
- प्रत्येक जिले में बाल श्रमिक सर्वेक्षण कराये जाने की कार्यवाही निरंतरित है। बाल श्रम सर्वेक्षण उपरांत सर्वेक्षण में पाये गये बाल श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जाना है।
- 6 वर्ष से अधिक आयु का ऐसा बालक / बालिका जिसने किसी स्कूल में प्रविष्ट होकर अनिवार्य शिक्षा प्राप्त नहीं की है। उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–4 के तहत् समुचित आयु वर्ग

Scanned with OKEN Scanner

की औपचारिक शालाओं की कक्षा में प्रविष्ट कराया जा सकेगा।

- काम करने वाले बच्चों का चिन्हांकन कर काम से हटाये जाने पर उन्हें समीपस्थ नियमित शाला में प्रविष्ट कराया जाना होगा।
- 05 से 08 वर्ष आयु के काम करने वाले विमुक्त बच्चे सीधे स्कूल से जोड़े जायेंगे।
- 09 से 14 वर्ष आयु वर्ग के चिन्हांकित बच्चों का पुनर्वास राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत् संचालित विशेष प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा दिया जाकर अंतिम रूप से औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में जोड़ा जावेगा।
- जिले में 14 वर्ष से कम आयु के काम करने वाले सभी बच्चों एवं खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में कार्यरत् 14 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों का चिन्हांकन कर उन्हें कार्य से विमुक्त किया जावेगा। विमुक्त किशोर श्रमिक के कौशल विकास के लिए वर्तमान में संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत् प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला बाल श्रम परियोजना लिंकिंग एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
- अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के दृष्टिगत भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में दर्ज बच्चों को वर्ष 2014 में मुख्य धारा से जोड़ा जाकर नियमित शालाओं में प्रविष्ट कराया गया है।

## 12.4 पेंसिल पोर्टल

बाल श्रम उन्मूलन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पेंसिल पोर्टल विकसित किया गया है, जो कि एक इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म है। उक्त पोर्टल द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला और सभी परियोजना समितियों को बाल श्रम उन्मूलन से जोड़ा गया है। पेंसिल पोर्टल में निम्न घटक है :–

1. चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम।
2. शिकायत प्रकोष्ठ।
3. राज्य सरकार।
4. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति।
5. परस्पर सहयोग।

छत्तीसगढ राज्य के सभी 27 जिलों में बाल एवं किशोर श्रम संशोधन अधिनियम, 2016 की धारा 17 (ए) के तहत जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किये जा चुके है, जिनके द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के संचालन एवं बाल श्रम उन्मूलन हेतु पेंसिल पोर्टल का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना है।

Scanned with OKEN Scanner

# 13. बीड़ी श्रमिक

13.1 छत्तीसगढ़ राज्य सर्वाधिक तेंदूपत्ता उत्पादक राज्य है परंतु राज्य में बीड़ी निर्माण इकाई अत्यंत न्यून है। बीड़ी एवं सिगार कामगार अधिनियम 1966 के अंतर्गत राज्य के सात जिले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुन्द, राजनांदगांव, धमतरी एवं कांकेर में कुल 16 बीड़ी संस्थान है, जिनमें परिसर एवं घर खाता श्रमिकों की संख्या 3474 है।

13.2 बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 02 मार्च 2016 से संशोधित बीड़ी श्रमिक आवास योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत आवासहीन पंजीकृत पात्र बीड़ी श्रमिक स्वयं की भूमि या पट्टे की भूमि पर या अपने परिवार के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से अधिग्रहित भूमि पर या राज्य शासन द्वारा प्रदाय की गई 30–30 स्क्वेयर मीटर भूमि पर (दो बेडरूम/हॉल, किचन, एक बाथरूम, एक शौचालय एवं कपड़ा सुखाने हेतु अलग स्थान) स्वयं का आवास निर्माण कर सकता है, जिसके लिये योजनांतर्गत प्रति आवास निर्माण हेतु तीन किश्तों में राशि वितरण किया जाना है जिसमें प्लिंथ लेवल पूर्ण होने पर 25 प्रतिशत, लेंटर लेवल पूर्ण होने पर 60 प्रतिशत एवं मकान पूर्ण होने पर 15 प्रतिशत राशि इस प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा कुल रूपये 1,50,000/– वित्तीय अनुदान दिया जाना प्रावधानित है। उक्त योजनांतर्गत परिचय पत्र धारक अपना आवेदन कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) रायपुर को प्रस्तुत कर सकते हैं।

13.3 उपरोक्त योजनांतर्गत जिला बलौदाबाजार–भाटापारा से 51 बीड़ी श्रमिक आवास निर्माण हेतु हितग्राहियों के आवेदन सहित संयुक्त भूमि में आवास निर्माण हेतु जिला कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। संयुक्त भूमि में आवास निर्माण हेतु भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से स्वीकृति चाही गई है। स्वीकृति पश्चात् योजनांतर्गत आवास निर्माण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।



Scanned with OKEN Scanner

# 14. बंधक श्रम

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत बंधक श्रम प्रथा दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम के अंतर्गत बंधुआ श्रम कराने वाले नियोजकों को दंडित किये जाने के अलावा संबंधित बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराने तथा उनका पुनर्वास करने का प्रावधान है। इस कार्य की सतत निगरानी के लिये जिला व अनुभाग स्तर पर सतर्कता समिति बनाये जाने का प्रावधान है। प्रदेश के सभी जिलों एवं अनुभागों में सतर्कता समितियों का गठन किया जा चुका है। राज्य शासन के सभी जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत बंधक श्रमिक संबंधी अपराधों के विचारण हेतु प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है।

बंधक श्रमिकों को अवमुक्त कराने एवं उनके पुनर्वास के लिये भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत कार्यवाही की जाती है। बंधक श्रमिकों के पुनर्वास के लिये रु. 20,000/— पुनर्वास राशि निर्धारित की गयी थी, जिसमें केन्द्रांश रु.10,000/— एवं राज्यांश रु. 10,000/— प्रति बंधक श्रमिक निर्धारित है। छत्तीसगढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2013 से राज्यांश राशि रू. 10,000/— को बढ़ाकर रू. 40,000/— की गई, जिसके तहत् वर्ष 2016 तक अवमुक्त समस्त श्रमिकों को राज्यांश राशि प्रदान की जा चुकी है।

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.05.2016 से पुनरीक्षित बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजना प्रभावशील की गई है। उक्त पुनरीक्षित बंधक श्रमिक पुनर्वास योजनांतर्गत अवमुक्त बंधक श्रमिकों को निम्नानुसार पुनर्वास सहायता राशि दी जाना प्रावधानित है :—

1. वयस्क विमुक्त प्रति बंधक श्रमिक रूपये 01 लाख।
2. विमुक्त बंधक श्रमिक बच्चे/भिक्षावृत्ति से विमुक्त बंधक श्रमिक बच्चे/विमुक्त महिला बंधक श्रमिक रूपये 02 लाख रूपये प्रति श्रमिक।
3. वेश्यावृत्ति/मानव तस्करी के दौरान उत्पीड़ित ट्रांसजेन्डर, महिला एवं बच्चे विमुक्त होने पर बंधक श्रमिक को रूपये 03 लाख प्रति श्रमिक।

Scanned with OKEN Scanner

- अवमुक्त बंधक श्रमिकों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, जन धन योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा सहायता योजना, श्रमिकों के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा योजना, विभाग द्वारा संचालित छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंण्डल के अंतर्गत पंजीयन कर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्राथमिकता के आधार पर की जावेगी।

- बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता के संबंध में अवमुक्त बंधक श्रमिक नियोजक के दोषसिद्ध उपरांत जिला राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति द्वारा जिला कलेक्टर को प्रस्तुत दावा के अनुसार पुनर्वास राशि आबंटन हेतु प्रस्ताव भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रेषित करेगी।

- केन्द्र प्रवर्तित पुनरीक्षित बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजनांतर्गत अवमुक्त बंधक श्रमिकों को तत्काल सहायता राशि 20,000/- रूपये दिया जाना प्रावधानित है, इसके लिए प्रत्येक जिले में बंधक श्रमिक पुनर्वास कोष का गठन किया जाना है।

- केन्द्र प्रवर्तित पुनरीक्षित बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजनांतर्गत सभी जिलो में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति द्वारा 10 लाख का स्थायी निधि कोष गठित किये जाने हेतु प्रथम चरण में बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, रायगढ़, बस्तर, महासमुंद, रायपुर एवं धमतरी जिलो को प्रति जिला 10 लाख के मान से राज्यांश राशि 80 लाख आबंटित की गई है। द्वितीय चरण में कोरबा, नारायणपुर, कोण्डागांव, गरियाबंद, कांकेर, बेमेतरा, दंतेवाड़ा एवं मुंगेली जिलों को राशि आबंटित किये जाने की कार्यवाही निरंतरित है।

- भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संबंधित जिला राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता राशि सीधे प्रदाय की जावेगी। बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता राशि (Matching Contribution) राज्य शासन द्वारा देय नहीं है।

- केन्द्र प्रवर्तित पुनरीक्षित बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजनांतर्गत भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राज्य के 27 जिलो में बंधक श्रमिकों का सर्वेक्षण कराये जाने के लिए प्रति जिला 4.50 लाख दिया जाना प्रावधानित है। भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण हेतु 50 प्रतिशत राशि आबंटित की गई है। जिला कलेक्टर को सर्वेक्षण हेतु 2.25 लाख राशि आबंटित किये जाने की कार्यवाही निरंतरित है।



Scanned with OKEN Scanner

## 14.1 वांछित बंधक श्रमिक केन्द्रांश पुनर्वास सहायता राशि :–

| क्र. | वित्तीय वर्ष | पाये गये बंधक श्रमिक श्रमिक संख्या | पुनर्वासित बंधक श्रमिक संख्या | राज्यांश राशि प्राप्त बंधक श्रमिक संख्या | केन्द्रांश राशि प्राप्त बंधक श्रमिक संख्या | बंधक श्रमिक संख्या जिनके लिए केन्द्रांश पुनर्वास राशि दी जानी शेष | वांछित केन्द्रांश राशि (लाख में) | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-13 | 940 | 940 | 940 | 853 | 87 | 8.70 | शेष 1276 अवमुक्त बंधक श्रमिकों को केन्द्रांश राशि भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। |
| 2 | 2013-14 | | | | | | | |
| 3 | 2014-15 | 520 | 520 | 520 | – | 520 | 52.00 | |
| 4 | 2015-16 | 397 | 397 | 397 | – | 397 | 39.70 | |
| 5 | 2016-17 | 182 | 182 | 182 | – | 182 | 18.20 | |
| 6 | 2017-18 | 57 | 57 | 57 | – | 57 | 5.70 | |
| 7 | 2018-19 | 33 | 33 | 33 | – | 33 | 3.30 | |
| योग | | **2129** | **2129** | **2129** | **853** | **1276** | **127.60** | |

**14.2** नवीन केन्द्र प्रवर्तित पुनरीक्षित बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजना प्रभावशील तिथि 17 मई 2016 के पश्चात् अन्य राज्यों से विमुक्त श्रमिकों को तात्कालिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता हेतु प्रस्तावित श्रमिकों का विवरण :–

| क्र. | जिला का नाम | बंधक श्रमिकों की संख्या | तत्काल सहायता राशि 20,000/– से लाभांवित श्रमिक संख्या | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | बिलासपुर | 148 | 23 | नवीन केन्द्र प्रवर्तित पुनरीक्षित बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजना अंतर्गत 177 अवमुक्त बंधक श्रमिकों के पुनर्वास राशि हेतु प्रस्ताव भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर प्रेषित किया गया है। |
| 2 | धमतरी | 2 | – | |
| 3 | बस्तर | 13 | – | |
| 4 | जांजगीर–चांपा | 107 | – | |
| 5 | बलौदाबाजार | 6 | – | |
| 6 | मुंगेली | 5 | – | |
| 7 | गरियाबंद | 5 | – | |
| योग | | **286** | **23** | |

(टीप – जिला बिलासपुर, धमतरी, बस्तर, जांजगीर–चांपा, बलौदाबाजार को बंधक श्रम पुनर्वास कोष गठन हेतु 10 लाख के मान से आबंटित की जा चुकी है एवं जिला मुंगेली व गरियाबंद में कोष गठन हेतु राशि आबंटित किए जाने की कार्यवाही निरंतरित है।)



Scanned with OKEN Scanner

# 15. श्रम यशस्वी पुरस्कार

श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था को श्रम विभाग द्वारा स्व0 महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। पुरस्कार राशि रु. 2.00 लाख (रूपये दो लाख) एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

# 16. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

**16.1** न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की जाती है। शासन द्वारा अधिसूचित किये गये अनुसूचित नियोजनों की सूची निम्नानुसार है :–

**16.1.1** सामान्य नियोजन (भाग–एक) –

| क्र. | नियोजन का नाम |
|---|---|
| 01 | पावर प्लांट में नियोजन। |
| 02 | स्टील प्लांट में नियोजन। |
| 03 | स्पंज आयरन प्लांट में नियोजन । |
| 04 | रोलिंग मिल में नियोजन। |
| 05 | कास्टिंग उद्योग में नियोजन। |
| 06 | सीमेंट फैक्ट्री में नियोजन। |
| 07 | सुरक्षा गार्ड में नियोजन। |
| 08 | भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजन। |
| 09 | स्टोन क्रसिंग में नियोजन। |
| 10 | पत्थर पीसने एवं तोड़ने में नियोजन। |
| 11 | ईंट भट्ठा में नियोजन। |
| 12 | चूना भट्ठा में नियोजन। |
| 13 | टाईल्स जिसमें मेंगलोर टाईल्स, इलाहबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं हैं, के निर्माण में नियोजन। |
| 14 | पाटरिज जिसमें रिफेक्ट्रीज सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सूलेटर्स, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स सामान निर्माण में नियोजन। |
| 15 | सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन। |
| 16 | मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण कार्यों में नियोजन। |



Scanned with OKEN Scanner

| | |
|---|---|
| 17 | इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन। |
| 18 | सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन। |
| 19 | वन उपज एवं वन लगाने तथा नर्सरी में नियोजन। |
| 20 | किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन। |
| 21 | किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल, रेस्टोरेंट या नाट्यगृह में नियोजन। |
| 22 | शैक्षणिक संस्थान या निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन। |
| 23 | हॉस्पीटल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी लैब में नियोजन। |
| 24 | विक्रय संवर्धन कर्मकार (सेल्स प्रमोशन कर्मकार)। |
| 25 | किसी मुद्रणालय में नियोजन। |
| 26 | पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/गैस वितरण केन्द्र एवं गोडाउन में नियोजन। |
| 27 | साल्वेंट प्लांट तथा रिफाइनरी में नियोजन। |
| 28 | किसी तेल मिल में नियोजन। |
| 29 | केमिकल्स या फार्मास्युटिकल्स में नियोजन। |
| 30 | हमाल, तौलैय्या, कुली, रेजा एवं मण्डी श्रमिक। |
| 31 | किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन। |
| 32 | किसी मुर्रा, पोहा निर्माणी में नियोजन। |
| 33 | खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित हैं या पेयक निर्माण में नियोजन। |
| 34 | खांडसारी उद्योग/चीनी मिल में नियोजन। |
| 35 | किसी आरा मिल/वुड वर्क में नियोजन। |
| 36 | प्लास्टिक उद्योग में नियोजन। |
| 37 | फ्यूल कोक में नियोजन। |
| 38 | पावरलूम (जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित हैं) में नियोजन। |
| 39 | कोसा उद्योग में नियोजन। |
| 40 | हाथकरघा उद्योग में नियोजन। |
| 41 | कंबल निर्माण कार्य में नियोजन। |
| 42 | बोन मिल में नियोजन। |
| 43 | लोक मोटर परिवहन में नियोजन। |
| 44 | पोल्ट्री फार्म में नियोजन। |
| 45 | किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माणी प्रक्रिया कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2 की परिभाषा अनुसार चलाई जाती है, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन। |



Scanned with OKEN Scanner

16.1.2 कृषि में नियोजन (भाग–दो)

16.1.3 अगरबत्ती उद्योग में नियोजन

16.1.4 किसी तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

16.2 छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2017 में राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार पर्षद के परामर्श अनुसार श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु 01 अप्रैल 2017 से प्रदेश में 45 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के न्यूनतम वेतन निर्धारण हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र के आधार पर तीन जोन "अ" "ब" "स" में विभाजित करते हुये प्रत्येक जोन के लिए अलग–अलग न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई, जिसके द्वारा अनुसूचित नियोजनों के लिए पूर्व में निर्धारित दरों लगभग 24 से 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। न्यूनतम वेतन निर्धारण हेतु प्रदेश का वर्गीकरण निम्नानुसार तीन जोनों में किया गया है :–

**जोन "अ"**

- नगर पालिक निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई–चरोदा एवं बीरगांव सीमा के भीतर एवं नगर पालिक निगम सीमा से 16 कि.मी. तक का क्षेत्र।
- राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र।
- अटल नगर, जिला रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र।
- प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कारखानें जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत् 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति ली गयी है।

**जोन "ब"**

- नगर पालिक निगम राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर जगदलपुर, चिरमिरी एवं धमतरी नगर पालिक निगम सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 8 कि0मी0 तक का क्षेत्र।

**जोन "स"**

- जोन "अ" एवं "ब" में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर।



Scanned with OKEN Scanner

## 16.3 वर्तमान में अनुसूचित नियोजनों में प्रभावशील न्यूनतम वेतन दरें :–

16.3.1

### अनुसूची –''क''

### कृषि में नियोजन (भाग–''दो'')

(दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक)

| श्रमिकों का वर्ग | न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील महँगाई भत्ता | | कुल वेतन रूपये में | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अकुशल | 6900.00 | 230.00 | 220.00 | 7.33 | 7120.00 | 237.00 |

## 16.3.2 न्यूनतम वेतन का वर्गीकरण

### अनुसूची–''ख''

### अनुसूचित नियोजन भाग–एक के 45 नियोजन

(दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक)

| क्र. | श्रमिकों का वर्ग | जोन का नाम | न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन रूपये में | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन |
| 1 | अकुशल | अ | 8320.00 | 320.00 | 340.00 | 13.08 | 8660.00 | 333.08 |
| | | ब | 8060.00 | 310.00 | 340.00 | 13.08 | 8400.00 | 323.08 |
| | | स | 7800.00 | 300.00 | 340.00 | 13.08 | 8140.00 | 313.08 |
| 2 | अर्द्धकुशल | अ | 8970.00 | 345.00 | 340.00 | 13.08 | 9310.00 | 358.08 |
| | | ब | 8710.00 | 335.00 | 340.00 | 13.08 | 9050.00 | 348.08 |
| | | स | 8450.00 | 325.00 | 340.00 | 13.08 | 8790.00 | 338.08 |
| 3 | कुशल | अ | 9750.00 | 375.00 | 340.00 | 13.08 | 10090.00 | 388.08 |
| | | ब | 9490.00 | 365.00 | 340.00 | 13.08 | 9830.00 | 378.08 |
| | | स | 9230.00 | 355.00 | 340.00 | 13.08 | 9570.00 | 368.08 |
| 4 | उच्च कुशल | अ | 10530.00 | 405.00 | 340.00 | 13.08 | 10870.00 | 418.08 |
| | | ब | 10270.00 | 395.00 | 340.00 | 13.08 | 10610.00 | 408.08 |
| | | स | 10010.00 | 385.00 | 340.00 | 13.08 | 10350.00 | 398.08 |



Scanned with OKEN Scanner

16.3.3

## अनुसूची–"ग"

विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लि
मासिक दरें :–

(दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक)

| क्र. | श्रमिकों का वर्ग | जोन का नाम | न्यूनतम मूल वेतन | | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | | कुल वेतन रूपये में | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन | प्रतिमाह | प्रतिदिन |
| 1 | अकुशल | अ | 8320.00 | 277.33 | 340.00 | 11.33 | 8660.00 | 288.67 |
| | | ब | 8060.00 | 268.67 | 340.00 | 11.33 | 8400.00 | 280.00 |
| | | स | 7800.00 | 260.00 | 340.00 | 11.33 | 8140.00 | 271.33 |
| 2 | अर्द्धकुशल | अ | 8970.00 | 299.00 | 340.00 | 11.33 | 9310.00 | 310.33 |
| | | ब | 8710.00 | 290.33 | 340.00 | 11.33 | 9050.00 | 301.67 |
| | | स | 8450.00 | 281.67 | 340.00 | 11.33 | 8790.00 | 293.00 |
| 3 | कुशल | अ | 9750.00 | 325.00 | 340.00 | 11.33 | 10090.00 | 336.33 |
| | | ब | 9490.00 | 316.33 | 340.00 | 11.33 | 9830.00 | 327.67 |
| | | स | 9230.00 | 307.67 | 340.00 | 11.33 | 9570.00 | 319.00 |
| 4 | उच्च कुशल | अ | 10530.00 | 351.00 | 340.00 | 11.33 | 10870.00 | 362.33 |
| | | ब | 10270.00 | 342.33 | 340.00 | 11.33 | 10610.00 | 353.67 |
| | | स | 10010.00 | 333.67 | 340.00 | 11.33 | 10350.00 | 345.00 |

16.3.4

## अनुसूची–"ई"

### अगरबत्ती उद्योग में नियोजन हेतु दरें

अगबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों का पुनरीक्ष न्यूनतम वेतन सलाहकार पर्षद के परामर्श अनुसार 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर दिनांक 01.10.2018 से पुनरीक्षित दरें प्रभावशील की गई है, जो निम्नवत् है –

| क्र. | कर्मचारियों का वर्ग | न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें | | | न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महंगाई भत्ते की दरें | कुल वेतन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अ. | अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) | रू0 | 26.96 | पैसे | (रू. 0.63) 5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु) | 27.59 |
| | साधारण सुगंधित (सेंटेड) | रू0 | 27.66 | पैसे | (रू. 0.63) 5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु) | 28.29 |

Scanned with OKEN Scanner

अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तौलने वाला, एकाउंट केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी की दरें 45 अधिसूचित सामान्य नियोजनों के लिए शासन द्वारा घोषित दरें ही प्रभावशील होंगी।

## 16.3.5 अनुसूची–''फ''

### तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन हेतु दरें

तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों का पुनरीक्षण न्यूनतम वेतन सलाहकार पर्षद के परामर्श अनुसार 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर दिनांक 01.10.2018 से पुनरीक्षित दरें प्रभावशील की गई है, जो निम्नवत् है –

| क्र. | कर्मचारियों का वर्ग | मूल वेतन | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें | कुल वेतन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए) | रू0 96.24 | 2.34 | रू0 98.58 प्रति हजार किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रूपये 552.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रूपये 552.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा। |

उपरोक्त अधिसूचना अनुसार बीड़ी श्रमिकों को प्रति हजार बीड़ी बनाने पर कुल रु. 122.48 की मजदूरी बनेगी। जिसमें नियोजक एवं बीड़ी श्रमिक का भविष्य निधि अंशदान काटकर बीड़ी श्रमिकों को रु0 101.78 मजदूरी प्राप्त होगी।

बीड़ी निर्माण उद्योग में नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन की दरें 45 अधिसूचित सामान्य नियोजनों के लिए शासन द्वारा घोषित दरें ही प्रभावशील होंगी।

Scanned with OKEN Scanner

# 17. राज्य स्तरीय समितियाँ

प्रदेश के विभिन्न उद्योगों एवं स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों की कठिनाईयों के निवारण तथा उनके कल्याण हेतु सुझाव देने के लिए श्रमायुक्त संगठन के अंतर्गत निम्नानुसार राज्य स्तरीय समितियाँ गठित की गई हैं :–

**01.** छत्तीसगढ़ श्रम सलाहकार पर्षद,

**02.** संविदा श्रमिक राज्य सलाहकार मण्डल,

**03.** छत्तीसगढ़ न्यूनतम वेतन सलाहकार पर्षद,

**04.** समान पारिश्रमिक सलाहकार समिति,

**05.** राज्य स्तरीय बंधक एवं बाल श्रमिक प्राधिकार समिति

**06.** मजीठिया वेज बोर्ड समिति

**07.** छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण सलाहकार समिति



Scanned with OKEN Scanner

# 18. श्रमायुक्त संगठन का बजट वर्ष 2018–19

(01.04.2018 से 31.12.2018 की स्थिति में)

| उपशीर्ष का नाम | | वर्ष 2018–19 में प्राप्त बजट | वर्ष 2018–19 में प्राप्त अनुपूरक बजट | कुल बजट | व्यय (01.04.18 से 31.12.2018 तक) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4268 | श्रमायुक्त | 56916000 | 0 | 56916000 | 34190785 |
| 4271 | श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला | 128676000 | 0 | 128676000 | 82220163 |
| 5810 | औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा | 43220000 | 0 | 43220000 | 22946269 |
| 4270 | श्रम कल्याण निधि की स्थापना | 50000000 | 0 | 50000000 | 10491114 |
| 5400 | रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार | 250000 | 0 | 250000 | 0 |
| 8352 | प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास गृहों का निर्माण | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 |
| 2837 | बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना | 36000000 | 0 | 36000000 | 1910000 |
| 5648 | औद्योगिक हाईजिन प्रयोगशाला की स्थापना | 10490000 | 0 | 10490000 | 4286143 |
| 6915 | बाल श्रमिक सर्वेक्षण | 4490000 | 0 | 4490000 | 0 |
| 6947 | बाल श्रमिकों का पुनर्वास | 600000 | 0 | 600000 | 0 |
| 7435 | असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल | 292500000 | 139320000 | 431820000 | 229848321 |
| 8977 | असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मण्डल | 100000000 | 5940000 | 105940000 | 25590506 |
| 8989 | ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल | 100000000 | 63280000 | 163280000 | 28633778 |
| 7440 | राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | योग | 833142000 | 208540000 | 1041682000 | 440117079 |



Scanned with OKEN Scanner

# 19. संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर

**19.1 उद्देश्य :–**

संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्थापित कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उनके कल्याण से संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन कराना है।

**19.2** कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा मुख्य कारखाना निरीक्षक, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं कारखाना निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। राज्य शासन द्वारा श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को मुख्य कारखाना निरीक्षक अधिसूचित किया गया है एवं समस्त उप संचालकों उप मुख्य कारखाना निरीक्षक तथा समस्त सहायक संचालकों को कारखाना निरीक्षक नियुक्त किया गया है। राज्य में वर्तमान में 07 उप संचालक एवं 17 सहायक संचालक कार्यरत है।

**19.3 संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अंतर्गत मैदानी कार्यालयों का विवरण –**

| क्र. | कार्यालय का नाम | कार्यालय का कार्यक्षेत्र/जिला |
|---|---|---|
| 1 | उप संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, मुख्यालय एवं रायपुर | रायपुर, धमतरी, गरियाबंद |
| 2 | सहायक संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, बलौदाबाजार | बलौदाबाजार, महासमुंद |
| 3 | उप संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, दुर्ग | दुर्ग, बालोद, बेमेतरा |
| 4 | उप संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, राजनांदगांव | राजनांदगांव, कबीरधाम |
| 5 | उप संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, बिलासपुर | बिलासपुर, मुंगेली |
| 6 | सहायक संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, जांजगीर–चांपा | जांजगीर–चांपा |
| 7 | उप संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, रायगढ़ | रायगढ़, जशपुर |
| 8 | उप संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, कोरबा | कोरबा |
| 9 | सहायक संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, अंबिकापुर | सरगुजा, सुरजपुर, बलरामपुर, कोरिया |
| 10 | सहायक संचालक, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, मुख्यालय एवं रायपुर | बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर |

Scanned with OKEN Scanner

## 19.4 संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन किया जाता है :–

- कारखाना अधिनियम, 1948
- वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
- मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत् निर्मित नियम परिसंकटमय रसायनों के भण्डारण एवं आयात नियम 1989
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत् निर्मित नियम रसायन दुर्घटना (आपात योजना) तैयारी एवं अनुक्रिया नियम 1996

### 19.4.1 कारखाना अधिनियम

कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत्, यह अधिनियम निम्नानुसार स्थितियों में किसी भी संस्थान में प्रभावशील होता है :–

(अ) ऐसे संस्थान जहाँ वर्ष में किसी भी एक दिन 10 या 10 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त कर शक्ति (मानव अथवा पशु द्वारा उत्पन्न शक्ति को छोड़कर) के उपयोग से कोई विनिर्माण प्रक्रिया संचालित की जाती है।

(ब) ऐसे संस्थान जहाँ वर्ष में किसी भी एक दिन 20 या 20 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त कर बिना शक्ति के उपयोग के विनिर्माण प्रक्रिया संचालित की जाती है।

(स) कारखाना अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत् राज्य शासन द्वारा घोषित विनिर्माण प्रक्रिया पर भी यह अधिनियम प्रभावशील होता है, चाहे इन कारखानों में श्रमिकों का नियोजन 10 से कम ही क्यों न हो। वर्तमान में धारा 85 के अंतर्गत् कारखाना अधिनियम के प्रावधान एक भी श्रमिक नियोजित करने पर निम्न प्रक्रियाओं पर लागू है :–

1. राईस मिलिंग।
2. दाल मिलिंग।
3. ऑयल मिलिंग।
4. आरा मशीन।
5. स्लेट पेन्सिल निर्माण।
6. एस्बेस्टस निर्माण
7. रासायनिक कारखाने, जिनमें विषैली या अत्यधिक ज्वलनशील अथवा विस्फोटक प्रकृति के रसायनों का भण्डारण या उपयोग होता है।

Scanned with OKEN Scanner

8. स्टोन क्रशिंग और मिनरल पल्वराईजिंग प्रोसेस।

9. गन्ना प्रसंस्करण एवं गुड़ उत्पादन प्रक्रिया।

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी मुख्य प्रावधान :

- कारखाने का कार्य वातावरण श्रमिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रखा जाना।
- कारखाने को स्वच्छ, धूल तथा विषैले गैसों से मुक्त, समस्त रास्तों तथा पहुंच मार्गों को बाधा रहित रखा जाना ।
- श्रमिकों को कार्य अनुरूप उपयुक्त सुरक्षा उपकरण जैसे– जूते, दस्ताने, हेलमेट, फेसशील्ड, ऊंचाई पर कार्य करने के लिए सेफ्टीबेल्ट, फर्नेस पर कार्य करने के लिए हीट रजिस्टेंस एप्रान्स, लेग गार्ड, हीट रजिस्टेंस दस्ताने केमिकल्स हेण्डलिंग एवं प्रोसेस पर कार्यरत श्रमिकों को गमबूट्स, रबर एप्रान्स, रबर हेण्डग्लोब्स, केमिकल सेफ्टी गॉगल्स एवं फेस शील्ड आदि उपलब्ध कराया जाना।
- श्रमिकों के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था किया जाना।
- महिला एवं पुरूष श्रमिकों के उपयोग हेतु अलग–अलग पर्याप्त शौचालय तथा मूत्रालय की व्यवस्था करना।
- कारखाने में प्रथम उपचार की व्यवस्था किया जाना।
- कारखाने में 150 से ज्यादा श्रमिक नियोजित हों तो विश्राम गृह की व्यवस्था किया जाना।
- कारखाने में 250 से ज्यादा श्रमिक नियोजित हों तो केन्टीन की व्यवस्था किया जाना।
- कारखाने में अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था किया जाना।
- श्रमिकों को सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक अवकाश दिया जाना। श्रमिकों के कार्य घंटों का नोटिस प्रदर्शित किया जाना।
- कारखाने में कार्यरत प्रत्येक श्रमिकों का हाजिरी रजिस्टर में नाम अंकित किया जाना।
- संवैतनिक अवकाश का लाभ श्रमिकों को 20 दिन पर एक दिन के दर से देना ।
- श्रमिकों से ओव्हर टाईम पर कार्य कराये जाने पर उन्हें दोगुने दर से भुगतान किया जाना।
- कारखाने में बाल श्रमिकों का नियोजन न करना।
- महिला श्रमिकों से शाम 7.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक कार्य नहीं कराया जाना।
- कारखाने में स्थापित क्रेन्स, Hoist तथा अन्य लिफ्टिंग मशीन एवं दाब यंत्रों/उपकरणों का सक्षम व्यक्तियों से परीक्षण करवाया जाना।
- श्रमिकों को सुरक्षा की दृष्टि से प्रशिक्षित किया जाना।

- मशीनों के समस्त चलायमान खतरनाक हिस्सों को सुरक्षा आवरण से सुरक्षित किया जाना।
- खतरनाक श्रेणी के कारखानों में कार्यरत समस्त श्रमिकों का वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना।

### 19.4.2 वेतन भुगतान अधिनियम

कारखाने में 1000 श्रमिक हो तो आगामी माह की 7 तारीख एवं 1000 से ज्यादा हों तो 10 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाना ।

### 19.4.3 मातृत्व हितलाभ अधिनियम

समस्त महिला श्रमिकों को मातृत्व हितलाभ के प्रावधानों से अवगत कराया जाना। कारखाने में कार्यरत समस्त महिला श्रमिकों को मातृत्व हितलाभ के प्रावधानानुसार 26 सप्ताह का संवैतनिक अवकाश देते हुए रूपये 2500/– का मेडिकल बोनस दिया जाना।

### 19.4.4 श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम

कारखाने में दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्रत्येक श्रमिक को श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधानानुसार मुआवजे देना। यदि कारखाना प्रबंधन द्वारा मुआवजा देने संबंधी कोई विवाद किया जाता है तो आहत/मृत श्रमिक के आश्रित, श्रमिक क्षतिपूर्ति आयुक्त (श्रम न्यायालय) में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

**19.5** प्रदेश में दिनाँक 31.12.2018 तक पंजीकृत कारखानों की कुल संख्या 4838 है। इन कारखानों में श्रमिकों का कुल नियोजन लगभग 3,57,898 है। इन कारखानों में अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के 18, खतरनाक श्रेणी के 794 एवं गैर खतरनाक श्रेणी के 4026 कारखानें हैं।

**19.6** संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा कारखानों में निरीक्षण कर कारखाना अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाता है। कारखाना में घटित दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर एवं शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल जाँच की जाती है। शिकायत की जाँच, निरीक्षण एवं दुर्घटना जाँच के उपरान्त उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में दोषी कारखाना प्रबंधन के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

**19.7** प्रदेश में विभिन्न जिलों में स्थापित खतरनाक श्रेणी के कारखानों में कारखाना अधिनियम के प्रावधानों का पालन सजगता से कराया जाता है। इन कारखानों में उपयोग किये जा रहे रसायनों से आपात स्थिति निर्मित होने की आशंका रहती है।

खतरनाक श्रेणी के कारखानों में होने वाली विनिर्माण प्रक्रिया से तथा इनमें उपयोग हो रहे रसायनों से श्रमिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इस बाबत् इन कारखानों में ऑन साइट

Scanned with OKEN Scanner

इमरजेंसी प्लान बनवाए जाते हैं। इन कारखानों में बनाए गए ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का रिहर्सल भी कराया जाता है, जिससे इन प्लान की प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति का आंकलन होता रहे।

**19.8** प्रदेश में स्थापित निर्माणियों में से MSIHC Rules 1989 के अंतर्गत् अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के कारखानों को पृथक से चिन्हांकित किया गया है। वर्तमान में अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के कुल 18 कारखाने हैं। अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के कारखाने प्रदेश के विभिन्न 05 जिलों में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत् बनाए गए नियमों में ऐसे प्रत्येक जिले का ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान भी बनाया जाना आवश्यक है। 02 जिलों क्रमशः बिलासपुर, जांजगीर–चांपा में ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान बन गए हैं तथा दुर्ग एवं रायपुर का ऑफसाईट प्लान संबंधित जिला कलेक्टरों को प्रस्तुत किये जा चुके है।

## 19.9 अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के कारखानों की जिलेवार सूची निम्नानुसार है :

| जिला | क्र. | अत्यधिक खतरनाक कारखानों के नाम एवं पता |
|---|---|---|
| रायपुर | 1 | प्रकृति इंडस्ट्रीज, प्लाट नं. 9–बी, रांवाभाठा इंडस्ट्रीयल एरिया, रायपुर |
| | 2 | हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट, मंदिर हसौद, रायपुर |
| | 3 | प्राची रेजीन्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–धरमपुरा, माना रोड़, रायपुर |
| | 4 | श्री गणेश ओलियोकेम, सिलतरा, रायपुर |
| | 5 | श्री केमिकल्स, सिलतरा, रायपुर |
| | 6 | इंडियन आईल कार्पोरेशन लिमिटेड, एल.पी.जी.बाटलिंग प्लांट, सिलतरा, फेस – I, रायपुर |
| | 7 | एरो एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड,मनपुरी इंडस्ट्रीयल एरिया,रायपुर |
| | 8 | आकृति टेक्जिम प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा ग्रोथ सेन्टर, रायपुर |
| | 9 | ठाकुर पेट्रो केमिकल्स, ग्राम–उरला, अभनपुर, रायपुर |
| | 10 | अनिकेत एल.पी.जी. बाटलिंग, सिलतरा फेस – II, रायपुर |
| जांजगीर–चांपा | 1 | मध्य भारत पेपर मिल ग्राम बिरगहनी, चांपा |
| दुर्ग | 1 | ऑक्सीजन प्लान्ट II, बी.एस.पी.भिलाई |
| | 2 | कोल केमिकल्स डिपार्टमेन्ट, बी.एस.पी.भिलाई |
| | 3 | इनर्जी मेनेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट, बी.एस.पी.भिलाई |
| | 4 | प्रोपेन स्टोरेज, बी.एस.पी.भिलाई |
| | 5 | प्रेक्स एयर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, बी.एस.पी.भिलाई |
| रायगढ़ | 1 | जिन्दल पॉवर लिमि0 तमनार, रायगढ़ |
| कोरबा | 1 | इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पी.आर.आर. पाईपलाईन प्रोजेक्ट, कोरबा टर्मिनल, ग्राम – गोपालपुर, पोस्ट – जमनीपाली, जिला – कोरबा (छ0ग0) |



Scanned with OKEN Scanner

**19.10** रसायन दुर्घटना (आपात योजना, तैयारी एवं अनुक्रिया) नियम 1996 के अंतर्गत् प्रदेश में राज्य संकट स्थिति समूह का गठन पुराने 16 जिलों में हो गया है ।

**19.11** प्रदेश में इण्डस्ट्रीयल हाईजिन लैबोरेटरी की स्थापना 2008 में की गई है। इस हाईजिन लैबोरेटरी में विभिन्न तरह के रसायनों एसिड फ्यूम्स्, मेटल फ्यूम्स्, दूषित वायु, धूल एवं जल का विश्लेषण करने हेतु उपकरण स्थापित किये गए हैं। विभाग के अधिकारियों द्वारा कारखानों में जांच के दौरान कार्य वातावरण के प्रदूषको का नमूना एकत्र किया जाता है तथा हाईजिन लैब में नमूना का विश्लेषण उपरांत कारखानों के कार्य वातावरण मे प्रदूषकों के स्तर को ज्ञात किया जाता है। विश्लेषण के परिणाम पश्चात् मानक स्तर से अधिक पाये जाने पर प्रदूषकों का स्तर नियंत्रित किये जाने हेतु अभियांत्रिकीय उपाय एवं कार्यरत् श्रमिकों को सुसंगत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाने तथा उक्त व्यवस्था हेतु कारखानों को दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाता है जिससे कि कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न हो सके।

**19.12** **संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण** :– खतरनाक श्रेणी के कारखानों द्वारा कारखाने मे कार्यरत् श्रमिकों का स्वास्थ्य जांच प्रतिवर्ष कराया जाता है। इन स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट का परीक्षण हाईजिन लैब में कार्यरत् कारखाना चिकित्सा निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। इससे कारखाने के कार्यवातावरण द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव एवं व्यवसायिक बीमारियो की पहचान की जाती है। व्यवसायिक बीमारी के लक्षण पाये जाने पर ऐसे श्रमिकों के कार्यस्थल में परिवर्तन कराया जाना सुनिश्चित किया जाता है, जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव से बचाव किया जावे।

**19.13** प्रदेश में स्थापित निर्माणियों में कार्यरत् श्रमिकों/अधिकारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी कारखानों में विशेषकर खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों में संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मार्गदर्शन में श्रमिकों/कारखाना प्रबंधनों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने एवं प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, साथ ही प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर द्वारा प्रदेश के सभी बड़े एवं खतरनाक श्रेणी के कारखाना प्रबंधनों को 4 मार्च को औद्योगिक सुरक्षा दिवस प्रभावी ढंग से मनाने के लिए दिशा–निर्देश दिये जाते हैं । इन दिशा–निर्देशों के अनुसार कारखानों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, सुरक्षा सुझाव, सुरक्षा संगोष्ठी, सुरक्षा फिल्मों का प्रदर्शन, अग्नि शमन प्रशिक्षण एवं ऑन साइट इमरजेंसी प्लान की मॉक ड्रील कराई जाती है ।



Scanned with OKEN Scanner

## 19.14 संचालनालय के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2018 में किये गए कार्यों का विवरण

**19.14.1** संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के क्रियान्वयन हेतु कारखानों का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान अधिनियम के प्रावधानों का पालन न होने की स्थिति में अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं। पालन सुनिश्चित न करने की स्थिति में दोषी कारखाना प्रबंधन के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2018 में किये किये गये निरीक्षण/दायर अभियोजन की स्थिति निम्नानुसार है :–

| वर्ष | निरीक्षण | दायर अभियोजन | निर्णित प्रकरण | अर्थदण्ड राशि (रूपयों में) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 615 | 186 | 121 | 96,78,000 |

### 19.14.2 दुर्घटना की जाँच

प्रदेश में घटित प्राणान्तक एवं गम्भीर दुर्घटना की जाँच संचालनालय के अधिकारियों द्वारा की जाती है तथा दोषी पाए गए कारखाना प्रबंधनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियोजन प्रकरण संबंधित श्रम न्यायालय में दायर किये जाते हैं। वर्ष 2018 में घटित दुर्घटनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्राणांतक दुर्घटना | मृत श्रमिको की संख्या | गम्भीर दुर्घटना | घायल श्रमिको की संख्या | साधारण दुर्घटना |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 73 | 91 | 56 | 67 | 185 |

### 19.14.3 कारखाना पंजीयन

प्रदेश में स्थापित होने वाले तथा कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत् पंजीयन योग्य निर्माणियों के पंजीयन का कार्य संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर द्वारा किया जाता है। राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–79/2012/16 दिनांक 19.12.2012 द्वारा छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 3 ए एवं नियम 6 के अन्तर्गत ऐसे गैर खतरनाक कारखानों, जिनमें 20 से अधिक श्रमिकों का नियोजन न हो, के अनुमोदन, पंजीयन तथा अनुज्ञप्ति जारी करने का अधिकार राज्य के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रदान किये गये है।

Scanned with OKEN Scanner

## 19.15 दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु विशेष अभियान

- राज्य के बड़े कारखानों के सुरक्षा अधिकारियों की नियमित बैठक लेकर कारखानों के सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है।
- कारखाने में नियोजन से पूर्व श्रमिकों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य किया गया है।
- खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखाने एवं सिलिकोसिस प्रोन कारखानों का लायसेंस नवीनीकरण के समय कारखाने में कार्यरत श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के प्रयोग को सुनिश्चित किया जा रहा है।
- राज्य में ठेका श्रमिकों के माध्यम से कारखानों में कार्यरत ठेका श्रमिकों को प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है तथा प्रति तिमाही में 25 से 30 कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत वर्ष 2018 में राज्य के 649 कारखानों में 2,25,538 ठेका श्रमिक लाभांवित हुए।

## 19.16 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस

ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के तहत् औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समस्त मैदानी कार्यालयों में की जाने वाली निम्न कार्यप्रणाली को ऑनलाईन किया गया है।

- कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जारी किये जाने वाले कारखाना लायसेंस तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों को ऑनलाईन प्राप्त कर लायसेंस ऑनलाईन जारी किये जा रहे है।
- कारखाने के ऑन साईट आपात योजना एवं कारखाने भवनों के नक्शे ऑनलाईन प्राप्त कर ऑनलाईन अनुमोदित या निरस्त किये जा रहे है।
- सक्षम व्यक्ति प्रमाण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर प्रमाण–पत्र भी ऑनलाईन जारी किये जा रहे है।
- समस्त उप संचालक एवं सहायक संचालक द्वारा किये जाने वाले कारखाने का निरीक्षण के संबंध में कारखानों का Random पद्धति से Computer द्वारा चयन कर निरीक्षण संपादित किये जाकर 48 घंटो में निरीक्षण रिपोर्ट Website (cg.nic.in/labour) पर अपलोड की जा रही है। कारखाने द्वारा Compliance भी ऑनलाईन अपलोड की जा रही है।

## 19.17 राजस्व

प्रदेश में वर्ष 2018 में नव स्थापित एवं पूर्व से कार्यरत् कारखानों से बतौर लायसेंस शुल्क कुल राशि रूपये 10,89,95,184.00 की राजस्व प्राप्ति हुई है।

Scanned with OKEN Scanner

## 19.18 श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी प्रभावी कदम

राज्य में स्थित कारखानों में से लगभग 986 कारखानों को श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील चिन्हांकित किया गया है। इन कारखानों में नियोजित श्रमिकों में व्यवसायिक रोग होने की संभावना होती है। इनमें से लगभग 237 कारखानों में सिलिकायुक्त धूल के कारण फेफड़े के रोग विशेषतः सिलिकोसिस/सिलिकोट्यूबरक्लोसिस की संभावना होती है। इस प्रकार के उद्योगों में मुख्यतः स्टोन क्रशर उद्योग एवं रेमीन्ग मॉस कारखाने शामिल है।

इस प्रकार के खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखाने एवं सिलिकोसिस रोगजन्य कारखानो के लायसेंस नवीनीकरण के समय कारखाने में कार्यरत श्रमिको का नियमानुसार स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। सिलिकोसिस रोगजन्य स्टोन क्रशर उद्योगों में कारखाना अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से खनिज संसाधन विभाग से पिट पास जारी करने के पूर्व श्रम विभाग से कारखाना अधिनियम के अंतर्गत लायसेंस प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अतः ऐसे सिलिकोसिस रोगजन्य स्टोन क्रशर उद्योग अपंजीकृत नहीं रह सकेंगे एवं कारखाना अधिनियम के अंतर्गत इनमें धूल उत्सर्जन नियंत्रित करने के उपाय सुनिश्चित करने हेतु विधिवत क्रियान्वयन किया जा सकेगा। इन कारखानों में श्रमिकों को उपयुक्त सुरक्षा उपकरण, डस्ट मास्क आदि उपलब्ध कराये जाने का दायित्व निर्वहन भी कारखानों द्वारा अनिवार्यतः कराया जा सकेगा, जिससे श्रमिकों में सिलिकोसिस जैसी गंभीर व्यवसायजन्य बीमारी की संभावना का उन्मूलन संभव होगा।

Scanned with OKEN Scanner

# 20. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, रायपुर

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल का गठन किया गया है। मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों एवं स्थापनाओं तथा कार्यरत श्रमिकों से अभिदाय प्राप्त किया जाता है। प्राप्त अभिदाय एवं शासन द्वारा दी गई सहायता अनुदान से मिलकर श्रम कल्याण निधि बनती है।

**20.1** छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के तहत राज्य के समस्त ऐसी स्थापनाएं जो व्यवसाय, व्यापार अथवा उससे संबंधित कोई सहयोगी कार्य करते हो एवं विगत 12 माहों में किसी भी कार्य दिवस में 9 से अधिक नियुक्त हों उन पर यह अधिनियम प्रभावशील होता है। श्रम कल्याण मंडल द्वारा ऐसे संस्थानों से 60/– रूपये (प्रति छमाही) अभिदाय प्रति श्रमिक जमा किया जाता है। इसमें 45/– रूपये नियोक्ता का एवं 15/– श्रमिक का अंशदान होता है। इस निधि से कारखानों एवं स्थापनाओं में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण की अभिवृद्धि के लिये विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है।

**20.2** **<u>अभिदाय वसूली</u>** :– मंडल द्वारा 2018 की अवधि में 2752 संस्थानों में कार्यरत 2,19,068 श्रमिकों से अभिदाय राशि रूपये 32,86,020/– एवं नियोजको से अभिदाय राशि रूपये 98,58,087/– अर्थात् कुल अभिदाय राशि रूपये **1,31,44,107/**– प्राप्त किया गया है।

**20.3** छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 यथा संशोधित नियम, 1984 के तहत पूर्व में स्थापनाओं/श्रमिकों के पंजीयन का प्रावधान नहीं था, श्रम कल्याण निधि अधिनियम में संशोधन उपरांत पंजीयन संबंधी प्रावधान शामिल किया गया है। श्रम कल्याण मंडल द्वारा औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के ऑनलाईन पंजीयन की व्यवस्था 01 जनवरी 2017 से प्रारंभ की गई है।

## 20.3 मंडल द्वारा संचालित योजनाऍं:–

### 20.3.1 शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना

**हितलाभ** : दस रूपये में गरम/पौष्टिक भोजन।

**पात्रता** : संस्थानों, कारखानों एवं स्थापनाओं में नियोजित अभिदायदाता श्रमिक/उनके परिवार के सदस्यों को दस रूपये में गरम/पौष्टिक भोजन वितरण किया जा रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

**20.3.2 शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना :–**

हितलाभ : रूपये 1500/– से 10000/– तक।

पात्रता : मण्डल को देय अभिदायदाता संस्थानों, कारखानों एवं स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों के दो पुत्र एवं पुत्रियों जो 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो, कक्षा 01 से 08वीं तक रु. 1500/–, कक्षा 09वीं से 12वीं तक रु. 3000/–, स्नातक अध्ययन जैसे बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम/आई.टी.आई. डिप्लोमा, नर्सिंग रु. 5000/–, स्नातक स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि रु. 8000/–, स्नातकोत्तर स्तर रु. 10000/–छात्रवृत्ति के रूप में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिये प्रदाय की जाती है।

**20.3.3 कन्या विवाह सहायता योजना :–**

हितलाभ : रूपये 15000/–।

पात्रता : औद्योगिक संस्थानों/कारखानों में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिक की 18 वर्ष से अधिक उम्र की एक पुत्री एवं संस्थानों में स्वयं कार्यरत् महिला श्रमिक को रु. 15000/– की विवाह सहायता राशि प्रदान की जाती है।

**20.3.4 श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना :–**

हितलाभ : रूपये 50000/–।

पात्रता : स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिकों की कार्य के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उनके वैधानिक उत्तराधिकारी को रूपये 50,000/– की सहायता राशि प्रदाय की जाती है। किन्तु वे हितग्राही जो ई.एस.आई.सी. एवं भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत नहीं है उनके ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगें।

**20.3.5 निःशुल्क सायकल वितरण योजना :–**

हितलाभ : एक सायकल (प्रति हितग्राही)

पात्रता : स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत 3 वर्षों से देय अभिदायदाता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों को निःशुल्क सायकल हितग्राही को जीवनकाल में एक बार ही प्रदाय किया जाता था।

छ.ग.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10–1/2018/16, दिनांक 10.01.2018 में पूर्व अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के प्रावधान में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से श्रम कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत सभी वर्गों के श्रमिकों के लिए निःशुल्क सायकल वितरण योजना 2017 लागू किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

### 20.3.6 श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई–कढ़ाई प्रशिक्षण :–

मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों के माध्यम से श्रमिकों के महिलाओं एवं पुत्रियों को निःशुल्क सिलाई/कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है।

### 20.3.7 निःशुल्क सिलाई मशीन योजना :–

हितलाभ : एक सिलाई मशीन (प्रति हितग्राही)।

पात्रता : कारखानों/संस्थानों में कार्यरत अभिदायदाता श्रमिकों के महिलाओं एवं पुत्रियों को मंडल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों में सिलाई/कढ़ाई का प्रशिक्षण उपरांत निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान किया जाता है।

### 20.3.8 निःशुल्क बैशाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना :–

हितलाभ : योजनांतर्गत 01 सामग्री (प्रति हितग्राही) रूपये शासन द्वारा निर्धारित राशि अनुसार।

पात्रता : कारखानों/संस्थानों में कार्यरत 3 वर्षों से देय अभिदायदाता दिव्यांग श्रमिकों को शासकीय चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र के आधार पर निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र हितग्राही को जीवनकाल में एक बार ही प्रदाय किया जाता है।

### 20.3.9 मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना 2017 :–

औद्योगिक संस्थानो/स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को विभिन्न ट्रेड का प्रशिक्षण जैसेः– फिटर, टर्नर, मोल्डर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फर्नेन्स ऑपरेटर, इन्स्ट्रूमेन्टेशन मैकेनिक, रेफ्रीजरेशन मैकेनिक इत्यादि एवं समय–समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मंडल द्वारा पंजीकृत कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जावेगा। ऐसे श्रमिक जो किसी स्थापना में वर्षों से अपने अनुभव के आधार पर कार्यरत है परंतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के प्रमाण–पत्र के अभाव में उन्हें कुशल श्रेणी से वंचित रखा गया है। इन कर्मचारी/उनके परिवारों के सदस्यों को भी प्रशिक्षण दिया जाकर पंजीकृत संगठित कर्मचारी जिस ट्रेड में कार्य करते हैं उसका प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

### 20.3.10 स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण :–

पात्रता : प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कारखानों में कार्यरत श्रमिक एवं उनके परिवार के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाकर निःशुल्क दवाईयाँ एवं चश्मा वितरण किया जाता है।

### 20.3.11 श्रमिकों हेतु खेल–कूद प्रतियोगिता :–

पात्रता : विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कारखानों/संस्थानों में कार्यरत् श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिए राज्य स्तरीय/संभाग स्तरीय/जिला स्तरीय श्रमिक खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

**20.3.12 सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना :–**

हितलाभ : रूपये 3,00,000/– ।

पात्रता : योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित वे सभी स्थापनाएं जहाँ कारखाना अधिनियम, 1948 एवं श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 प्रभावशील होगा में कार्यरत् श्रमिकों को प्रदान किया जावेगा।

**20.4 श्रम कल्याण केन्द्र :–** श्रम कल्याण केन्द्रों में कारखानों/संस्थानों में नियोजित श्रमिक परिवार के महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वरोजगार हेतु सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई का प्रशिक्षण देकर उत्तीर्ण हितग्राहियों को निःशुल्क सिलाई मशीन का वितरण किया जाता है। श्रमिकों के लिये शैक्षणिक भ्रमण, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्यकम, खेलकूद, मेंहदी एवं रंगोली आदि प्रतियोगिता के माध्यम से बौद्धिक विकास किया जाता है।

**20.4.1 मण्डल द्वारा संचालित कल्याण केन्द्रों का विवरण :–**

| क्र. | जिला | संख्या | कल्याण केन्द्रों का नाम/पता |
|---|---|---|---|
| 01 | रायपुर | 1 | औद्योगिक क्षेत्र गुमा, रायपुर |
| | | 2 | औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर |
| | | 3 | औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा, रायपुर |
| | | 4 | औद्योगिक क्षेत्र नवापारा |
| 02 | दुर्ग | 5 | औद्योगिक क्षेत्र खुर्सीपार, भिलाई |
| | | 6 | औद्योगिक क्षेत्र छावनी, भिलाई |
| | | 7 | औद्योगिक क्षेत्र रसमड़ा |
| 03 | राजनांदगांव | 8 | औद्योगिक क्षेत्र इंदामरा |
| | | 9 | औद्योगिक क्षेत्र टेडेसरा |
| | | 10 | औद्योगिक क्षेत्र हल्दी |
| 04 | बिलासपुर | 11 | औद्योगिक क्षेत्र तिफरा |
| | | 12 | औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी |
| | | 13 | जरहाभाठा |
| 05 | जांजगीर–चांपा | 14 | औद्योगिक क्षेत्र भोजपुर |
| 06 | कोरबा | 15 | कावेरी विहार, एन.टी.पी.सी.,परिसर,कोरबा |
| | | 16 | सी.एस.ई.बी. (कैलाश विहार पश्चिम) |
| | | 17 | औद्योगिक क्षेत्र बालको, कोरबा |

Scanned with OKEN Scanner

**20.5 मंडल द्वारा 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या एवं व्यय की गई राशि :–**

| क्र. | योजना का नाम | हितग्राहियों की संख्या | व्यय की गई राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना | 67912 | 564007.00 |
| 2 | शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना | 4469 | 7483500.00 |
| 3 | कन्या विवाह सहायता योजना | 357 | 3705000.00 |
| 4 | श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना | 0 | 0.00 |
| 5 | निःशुल्क सायकल सहायता योजना | 0 | 0.00 |
| 6 | श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण | 1253 | 1811046.00 |
| 7 | निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना | 775 | 3215473.00 |
| 8 | निःशुल्क बैशाखी / केलिपर्स / ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना | 0 | 0.00 |
| 9 | मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना | 30 | 602636.00 |
| 10 | सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिये आर्थिक सहायता योजना | 06 | 1800000.00 |
| | **योग** | **74772** | **25315066.00** |

Scanned with OKEN Scanner

# 21. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

**21.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण क्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निम्न अधिनियम प्रवर्तित किये गये है :–**

(1) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996.

(2) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996.

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2008 में छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) नियम 2008 अधिनियमित कर प्रभावशील किया गया तथा अधिनियम के अंतर्गत छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन 05 सितम्बर 2008 को किया गया।

**21.2 भवन एवं अन्य सन्निर्माण से तात्पर्य –**

- भवनों, मार्गों, सड़कें, रेल्वे मार्ग, व ट्रेक, ट्रामवे, हवाई मैदान जैसे निर्माण कार्य।
- सिंचाई, जल निकास, तटबंध, नौ परिवहन, संकर्म, बाढ़ नियंत्रण कार्य (वृष्टिजल निकास संकर्म भी)
- विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण जल संकर्म (जिसमें जल के वितरण के लिये सारणियां)
- तेल तथा गैस प्रतिष्ठानों, विद्युत लाईनों, बेतार, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, तार तथा विदेश संचार माध्यम निर्माण कार्य।
- बांध, नहर, जलाशय, जल सारणियां, सुरंग, पुल, सेतु, जल सेतु।
- पाइप लाइन, मीनार शीतलन, मीनार (टावर) पारेषण सम्मिलित किया गया है ।
- इसमें ऐसे कार्य भी है, जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे या ।
- उनके संबंध में सन्निर्माण, परिर्वतन, मरम्मत, अनुरक्षण या गिराया जाना शामिल है ।
- परन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे भवन या अन्य संनिर्माण कार्य सम्मिलित नहीं होंगे जिनमें कारखाना अधिनियम, 1948 अथवा खदान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हों ।

**21.3 निर्माण श्रमिक से तात्पर्य –**

- जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल, अर्द्धकुशल या अकुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक, पर्यवेक्षणिक, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य भाड़े या पारिश्रमिक के लिये करता हो ।
- किन्तु प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है। उदाहरण के लिये उपयंत्री निर्माण श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

## 21.4 निर्माण श्रमिक के प्रवर्ग –

छत्तीसगढ़ राज्य में भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य से जुड़े हुए निम्नांकित 60 प्रकार के प्रवर्गों के श्रमिकों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के रूप में अधिसूचित किया गया है :–

1. पत्थर काटने वाले या पत्थर तोड़ने वाले या पत्थर पीसने वाले, 2. राजमिस्त्री (मैसन) या ईटों पर रद्दा करने वाले 3. बढ़ई (कारपेंटर) लकड़ी की सामग्रियों में पेंटिंग एवं वार्निशिंग करने वाले कर्मकार, 4. पुताई करने वाले (पेंटर), 5. फिटर या बार वेंडर, 6. सड़क के पाईप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर, नाली निर्माण एवं नल संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 7. इलेक्ट्रिशियन, विद्युत वायरिंग, वितरण एवं पैनल फिटिंग संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 8. मैकेनिक, 9. कुएं खोदने वाले, 10. वेल्डिंग करने वाले, 11. मुख्य मजदूर, 12. मजदूर (रेजा–कुली), 13. स्प्रेमेन या मिक्सरमेन (सड़क बनाने में लगे), 14. लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले, 15. कुएं में गाद (तलछट) हटाने वाले गोताखोर, 16. हथौड़ा चलाने वाले, 17. छप्पर डालने वाले, 18. लोहार, 19. लकड़ी चीरने वाले, 20. कॉलकर, 21. मिश्रण करने वाले (कांक्रीट मिक्सर चलाने वाले सहित), 22. पंप ऑपरेटर, 23. मिक्सर मशीन चलाने वाले, 24. रोलर चालक, 25. बड़े यांत्रिकी कार्य जैसे भारी मशीनरी, पुल के कार्य आदि में लगे खलासी, 26. चौकीदार एवं सिक्योरिटी गार्ड, 27. मोजाईक पॉलिश करने वाले, 28. सुरंग कर्मकार, 29. संगमरमर / कड़प्पा पत्थर, मारबल, स्लैब कटिंग, पॉलिश एवं टाईल्स संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 30. सड़क कर्मकार, 31. चट्टान तोड़ने वाले एवं खनि कर्मकार, 32. सन्निर्माण कार्य से जुड़े मिट्टी का कार्य करने वाले, 33. चूना बनाने की क्रिया में लगे कर्मकार, 34. बाढ़ कटाव रोधी कार्य में लगे कर्मकार, 35. बांध, पुल, सड़क या किसी भवन सन्निर्माण संक्रिया में नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार, 36. ईंट भट्ठा, खपरा, फ्लाई एश, टाईल्स मजदूर, 37. पंडाल सन्निर्माण में लगे कर्मकार, 38. बंसोड़, 39. कुम्हार, 40. सीमेंट पोल, सीमेंट की जाली, गमले, पाईप, टंकी आदि बनाने वाले कर्मकार, 41. रेत या गिट्टी मजदूर, 42. निर्माण में अग्निशमन संयंत्र लगाने वाले श्रमिक, 43. एयर कण्डीशनर, शीतलीकरण, वाष्पीकरण यंत्र तथा गीजर जैसे उपकरणों, 44. लोहे के ग्रिल, खिड़कियां, दरवाजे बनाने व लगाने वाले कर्मकार, 45. भवनों में कारपेट का काम करने वाले कर्मकार, 46. लिफ्ट एवं एस्केलेटर लगाने तथा रखरखाव करने वाले कर्मकार, 47. सोलर पैनल निर्माण करने वाले, लगाने / मरम्मत करने वाले कर्मकार, 48. माड्यूलर किचन निर्माण करने वाले कर्मकार, 49. पी0ओ0पी0 का कार्य करने वाले, फॉल्स सीलिंग, लाईटिंग जैसे आंतरिक साज–सज्जा संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 50. सेन्ट्रींग कर्मकार, 51. सुरक्षा दरवाजे, सुरक्षा यंत्र लगाने वाले एवं बनाने वाले कर्मकार, 52. जल संरक्षण (Water Harvesting) से संबंधित कार्य करने वाले कर्मकार, 53. काँच एवं Glass Panels की कटिंग करने और लगाने संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 54. खेल मैदान, स्वीमिंग पुल, गोल्फ कोर्स जैसे मनोरंजन स्थल



Scanned with OKEN Scanner

का निर्माण करने वाले कर्मकार, 55. बस स्टॉप, डिपो, स्टैण्ड, रोड सिगनल, संकेतक (साईन बोर्ड) एवं इनसे संबंधित निर्माण करने तथा लगाने वाले कर्मकार, 56. फौव्वारा निर्माण करने एवं लगाने वाले कर्मकार, 57. सार्वजनिक उद्यान, फुटपाथ निर्माण, लैण्ड स्कैपिंग संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 58. निर्माण कार्य में लगने वाले सामग्री रेत, ईंट, गिट्टी, मुरूम आदि की आपूर्ति करने वाले वाहन के वाहन चालक, 59. मलबा/कचरा हटाने वाले कर्मकार, 60. रेत, मुरूम, गिट्टी, सीमेंट तथा ईंट को स्थल से निकालने वाले एवं लोडिंग एवं अनलोडिंग करने वाले कर्मकार।

**21.5 स्थापनाओं का पंजीयन –**

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत उन स्थापनाओं का पंजीयन अनिवार्य किया गया है, जहॉ 10 अथवा अधिक निर्माण श्रमिकों का नियोजन हो।

**21.6 हितग्राही पंजीयन :–**

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रत्येक निर्माण श्रमिक का पंजीयन मंडल के द्वारा किया जाता है। पंजीयन हेतु अर्हताएं एवं प्रकियाएं निम्नवत् है –

- निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु निर्धारित आयु सीमा 18 वर्ष से कम नहीं किन्तु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- किसी भी च्वाईस सेंटर (लोक सेवा केन्द्र) से श्रम विभाग के वेबसाईट www.cglabour.nic.in से ऑन–लाईन आवेदन कर सकते है।
- पंजीयन हेतु कलर पासपोर्ट साईज फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।
- आयु प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- राशन कार्ड (वैकल्पिक)।
- मोबाईल नंबर एवं बैंक खाता नंबर (बैंक खाता की छायाप्रति अपलोड किया जाना) अनिवार्य।
- विगत एक वर्ष में भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस कार्य करने संबंधी नियोजक/श्रमिक संघ/श्रम निरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- पंजीयन के संबंध में सूचना श्रमिक को उसके द्वारा दी गई मोबाईल नंबर पर दी जाती है जिसके उपरांत वह पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर से प्राप्त कर सकता है।
- पंजीयन/अभिदाय शुल्क 10/– रूपये है, जिसे संबंधित च्वाईस सेंटर में जमा कर पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।



Scanned with OKEN Scanner

## 21.7 पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया :–

- प्रथम बार पंजीयन के 05 वर्ष पश्चात पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है।
- नवीनीकरण की वैधता 01 वर्ष होगी।
- पंजीयन के नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज पंजीयन की प्रक्रिया के समान ही होंगे।
- पंजीयन नवीनीकरण शुल्क 10/– रूपये है, जिसे संबंधित च्वाईस सेंटर में जमा कर नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।

## 21.8 मंडल में पंजीकृत श्रमिकों की जिलेवार संख्या :–

| क्र. | जिला का नाम | जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक | | | मंडल गठन से दिसंबर, 2018 तक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | महिला | पुरूष | योग | महिला | पुरूष | योग |
| 1 | रायपुर | 61650 | 15161 | 76811 | 231319 | 77511 | 308830 |
| 2 | बलौदा बाजार | 9029 | 3055 | 12084 | 56077 | 22175 | 78252 |
| 3 | गरियाबंद | 10172 | 4790 | 14962 | 23522 | 15833 | 39355 |
| 4 | धमतरी | 10412 | 5769 | 16181 | 33066 | 28550 | 61616 |
| 5 | महासमुंद | 24616 | 13371 | 37987 | 59794 | 36607 | 96401 |
| 6 | दुर्ग | 9248 | 2765 | 12013 | 53699 | 17284 | 70983 |
| 7 | बालोद | 14601 | 5782 | 20383 | 55698 | 29394 | 85092 |
| 8 | बेमेतरा | 6985 | 3099 | 10084 | 28096 | 15237 | 43333 |
| 9 | राजनांदगांव | 12071 | 4790 | 16861 | 55996 | 24606 | 80602 |
| 10 | कवर्धा | 3766 | 1863 | 5629 | 28490 | 12762 | 41252 |
| 11 | बिलासपुर | 41236 | 17108 | 58344 | 119425 | 51487 | 170912 |
| 12 | मुंगेली | 2456 | 1257 | 3713 | 10740 | 8807 | 19547 |
| 13 | जांजगीर–चांपा | 53300 | 13644 | 66944 | 117827 | 29932 | 147759 |
| 14 | कोरबा | 22876 | 6718 | 29594 | 51313 | 22242 | 73555 |
| 15 | रायगढ़ | 10698 | 4183 | 14881 | 40953 | 20707 | 61660 |
| 16 | सरगुजा | 2706 | 1337 | 4043 | 27984 | 18510 | 46494 |
| 17 | सूरजपूर | 4732 | 3675 | 8407 | 47815 | 43941 | 91756 |
| 18 | बलरामपुर | 3210 | 3496 | 6706 | 14820 | 22111 | 36931 |
| 19 | कोरिया | 2928 | 2145 | 5073 | 32255 | 36052 | 68307 |
| 20 | जशपुर | 6137 | 3602 | 9739 | 12369 | 7787 | 20156 |
| 21 | बस्तर | 4696 | 2718 | 7414 | 15709 | 12803 | 28512 |
| 22 | कोण्डागांव | 1011 | 737 | 1748 | 7423 | 6864 | 14287 |
| 23 | नारायणपुर | 491 | 344 | 835 | 2885 | 2223 | 5108 |
| 24 | कांकेर | 2707 | 1360 | 4067 | 15660 | 11185 | 26845 |
| 25 | दंतेवाड़ा | 482 | 375 | 857 | 10460 | 8324 | 18784 |
| 26 | सुकमा | 8808 | 7948 | 16756 | 13393 | 11652 | 25045 |
| 27 | बीजापुर | 537 | 340 | 877 | 4224 | 3656 | 7880 |
| | योग | 331561 | 131432 | 462993 | 1171012 | 598242 | 1769254 |

**21.9 श्रमिकों के पंजीयन को बैंक खाता, आधार एवं मोबाईल नंबर से लिंकिंग संबंधी विवरण :–**

| कुल पंजीयन | बैंक खाता | आधार | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| 1769254 | 1623976 | 1592046 | 1375171 |

**21.10 मंडल द्वारा संचालित योजनाएँ :–**

| क्र. | योजना का नाम |
|---|---|
| 1 | मिनीमाता कन्या विवाह योजना |
| 2 | भगिनी प्रसूति सहायता योजना |
| 3 | नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना |
| 4 | विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना |
| 5 | मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना |
| 6 | मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना |
| 7 | मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना |
| 8 | दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना |
| 9 | अटल पेंशन योजना |
| 10 | मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना |
| 11 | बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना |
| 12 | मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना |
| 13 | मेधावी छात्र–छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना |
| 14 | मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन |
| 15 | निर्माण महिला स्व–सहायता योजना |
| 16 | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (कन्वर्ज) |
| 17 | सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना |
| 18 | मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना |
| 19 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना |
| 20 | शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना |
| 21 | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों हेतु वस्त्र प्रदाय योजना |
| 22 | निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना |
| 23 | श्रम मित्र सहायता योजना |
| 24 | दुर्घटना से स्थायी दिव्यांग सहायता योजना |
| 25 | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना |
| 26 | निर्माण श्रमिक ई–रिक्शा सहायता योजना |
| 27 | विशेष शिक्षा सहायता योजना |

Scanned with OKEN Scanner

## 1.11 छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएं

### 21.11.1 मिनीमाता कन्या विवाह योजना :–

हितलाभ : सहायता राशि 20 हजार रूपये।

पात्रता : पंजीकृत निर्माण श्रमिको के पुत्रियों एवं महिला हितग्राही के स्वयं के विवाह या हितग्राही के धर्मज या हितग्राही द्वारा विधिमान्य गोद लिया हुआ या हितग्राही के सौतेली पुत्री, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, या हितग्राही के एक बार पुनर्विवाह हेतु या हितग्राहियों के दो पुत्रियों के लिये।

– योजना का लाभ लेने हेतु 90 दिवस पूर्व आवेदक श्रमिक का पंजीयन अनिवार्य है।

### 21.11.2 भगिनी प्रसूति सहायता योजना :–

हितलाभ : सहायता राशि 10 हजार रूपये दो किस्तो में प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। गर्भधारण के तीन माह पश्चात प्रथम किश्त 5,000 रूपए एवं बच्चे के जन्म के बाद द्वितीय किश्त 5,000 रूपयें प्रदाय किया जाता है।

पात्रता : पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक। योजना का लाभ लेने हेतु 90 दिवस पूर्व आवेदिका महिला श्रमिक का पंजीयन अनिवार्य है।

### 21.11.3 नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना :–

पंजीकृत निर्माण श्रमिको के कक्षा पहली से स्नातकोत्तर तक अध्ययनरत पुत्र/पुत्रियों (02 बच्चे) को राशि 1,000/– रूपये से 10,000/– रूपये तक छात्रवृत्ति सहायता राशि प्रदाय की जाती है। संबंधित शिक्षण संस्था के प्रधानाचार्य/प्राचार्य द्वारा प्रदत्त उत्तीर्ण अथवा अध्ययनरत होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

### 21.11.4 विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना :–

हितलाभ : पंजीकृत सामान्य मृत्यु की दशा में 25,000/– रूपये अनुग्रह राशि तथा 5,000/– रूपये अंत्येष्टि सहायता राशि प्रदाय किया जाता है।

– दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर 1,00,000/– रू. अनुग्रह राशि एवं रूपये 5,000/– अंत्येष्टि सहायता राशि। स्थायी अपंगता की स्थिति में 75,000/– रू. सहायता राशि। अपंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु या स्थाई अपंगता होने पर बोर्ड द्वारा विशेष प्रकरण मानकर उक्त योजना का

Scanned with OKEN Scanner

लाभ प्रदाय किया जाता है।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक को कार्य के दौरान तथा कार्य मे आते जाते दुर्घटना में मृत्यु होने पर अपंजीकृत निर्माण श्रमिक ।

**21.11.5 मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना :–**

हितलाभ : मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों,/व्यवसाय जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर, पेंटर, रेजा कुली से संबंधित औजार किट मंड़ल द्वारा प्रदाय किया जाता है।

पात्रता : श्रमिक पंजीकृत हो तथा पंजीयन के 90 दिवस पश्चात् योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्र है।

**21.11.6 मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना :–**

हितलाभ : निःशुल्क सायकल अथवा शासन द्वारा सायकल के लिए निर्धारित राशि।

पात्रता : मंडल में 18 से 35 वर्ष आयु समुह के पंजीकृत महिला श्रमिक एवं 18 से 50 वर्ष आयु समुह के पंजीकृत पुरूष श्रमिक पंजीयन के 90 दिवस पश्चात् योजना के लाभ लेने हेतु पात्र है।

**21.11.7 मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना :–**

हितलाभ : निःशुल्क सिलाई मशीन अथवा शासन द्वारा सिलाई मशीन के लिए निर्धारित राशि।

पात्रता : मंडल में 36 से 60 वर्ष आयु समूह की पंजीकृत महिला पंजीयन के 90 दिवस पश्चात योजना का लाभ लेने हेतु पात्र है एवं जिसने मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

**21.11.8 दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना :–**

हितलाभ : सहायता राशि रू. 20,000/– अथवा वास्तविक चिकित्सा व्यय, जो भी कम हो, का भुगतान मंडल द्वारा संबंधित चिकित्सालय को किया जाता है।

पात्रता : पंजीकृत निर्माण श्रमिक पंजीयन के 90 दिवस पश्चात् योजना के लाभ हेतु पात्र।

**21.11.9 अटल पेंशन योजना :–**

हितलाभ : भारत सरकार द्वारा हितग्राही के अंशदान का 50 प्रतिशत अथवा रूपये

Scanned with OKEN Scanner

1,000/– जो कम हो, तथा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा रूपये 1,200/– प्रत्येक हितग्राही को अंशदान देय होगा। योजना अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही को 60 वर्ष की आयु के पश्चात रूपये 1,000/– से 5,000/– तक मासिक पेंशन प्राप्त हो सकेगा। हितग्राही एवं उनके आश्रित की मृत्यु की दशा में हितग्राही के पेंशन खाते में जमा राशि उसके नामित को प्रदाय किया जाता है।

पात्रता : 18 से 40 वर्ष आयु समूह के मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।

**21.11.10 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना :–**

हितलाभ : पंजीकृत निर्माण मजदूर के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण। पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिस ट्रेड/व्यवसाय में कार्य करते है, उसका प्रमाण–पत्र प्रदाय करना। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार के सदस्यों को उनकी रूचि अनुसार विभिन्न ट्रेड/व्यवसाय में प्रशिक्षित करवाना। पंजीकृत निर्माण श्रमिक को प्रशिक्षण के दौरान् अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान का प्रावधान है।

पात्रता : 18 से 50 वर्ष आयु के पंजीकृत श्रमिक एवं उनके आश्रित पंजीयन के 90 दिवस के उपरांत प्रशिक्षण हेतु पात्र।

**21.11.11 बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना :–**

हितलाभ : प्रत्येक श्रमिक को 4,000/– रूपये देय है, जिसमें से 2,000/–रूपये बंधक बनाये गए श्रमिक को वापस लाने हेतु एवं 2,000/– रूपये श्रमिक के स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार वस्त्र हेतु सहायता प्रदाय किया जाता है।

पात्रता : ऐसे निर्माण श्रमिक जो कार्य के लिये राज्य से बाहर गये हो और बंधक बनाये गये हो, को मंडल द्वारा अधिसूचित प्रवर्ग के अतंर्गत पंजीयन कर योजना का लाभ प्रदाय किया जाता है।

**21.11.12 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना :–**

हितलाभ : दो वर्ष में एक बार योजना का लाभ दिया जावेगा। योजना के तहत् हेलमेट, जूता, दस्ताना, सेफ्टी जैकेट एवं मॉस्क दिया जाता है।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिसके पंजीयन को 90 दिवस पूरा हो चुका है, योजना का लाभ लेने हेतु पात्र।



Scanned with OKEN Scanner

**21.11.13 मेघावी छात्र–छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना :–**

हितलाभ : कक्षा दसवीं एवं बारहवीं में एवं उसके ऊपर के कक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर 5,000/– रूपये से 12,500/– रूपये। छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की परीक्षा के प्रावीण्य सूची के प्रथम 10 में आने वाले छात्र–छात्राओं को राशि रूपये 1 लाख।

– शासकीय आई0आई0टी0 इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, डेन्टल, नर्सिंग, पॉलीटेक्नीक, कृषि महाविद्यालय एवं आई0टी0आई0 में प्रवेश लेने पर समस्त शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं भोजन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति एवं वर्ष में एक बार स्टेशनरी हेतु 2,000/–रूपये मंडल द्वारा देय। अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने पर शासकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए निर्धारित शुल्क दिये जाने का प्रावधान है।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र–पुत्री जो अध्ययनरत है।

**21.11.14 मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन :–**

इस योजना के अंतर्गत मंडल द्वारा अधिसूचित 60 प्रवर्ग के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को मौके/कार्य स्थल, चावड़ी, शिविर, सम्मेलन इत्यादि स्थानों पर जाकर श्रम निरीक्षक/श्रम पदाधिकारियों द्वारा पंजीयन किया जाता है। मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन राज्य के सभी 27 जिलों में प्रदाय किया गया है।

**21.11.15 निर्माण महिला स्व–सहायता योजना :–**

मंडल में पंजीकृत 18 से 60 वर्ष आयु समूह के निर्माण श्रमिक जो सिलाई–कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्ति उपरान्त स्वरोजगार हेतु स्व–सहायता समूह बनाया हो, या अन्य काम करना चाहता है, उनके लिए प्रशिक्षण उपरांत व्यवसायिक दृष्टिकोण से 10 महिला श्रमिकों का एक स्व–सहायता समूह बनाने पर प्रत्येक समूह को 50 हजार रूपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदाय किया जावेगा। स्व–सहायता समूह द्वारा 03 वर्ष के भीतर ऋण राशि मंडल को वापस किया जावेगा।



Scanned with OKEN Scanner

**21.11.16 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (कन्वर्ज) :–**

- 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु समूह के पंजीकृत हितग्राही पात्र होंगे।
- वार्षिक किश्त के रूप में रूपये 342/– में से रुपये 171 /– मंडल द्वारा देय एवं शेष रुपये 171/– भारत शासन द्वारा देय।
- सामान्य मृत्यु पर रूपये 2,00,000/– एवं दुर्घटना से मृत्यु पर रूपये 4,00,000/– देय।
- स्थायी अपंगता पर रूपये 2,00,000/– देय।
- मंडल के निर्णय दिनांक 18/04/2018 से स्वीकृत किया गया है।
- योजना के कियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा दिनांक 28.05.2018 को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ अनुबंध किया गया है, जो कि दिनांक 01–06–2018 से प्रभावशील है।

**21.11.17 सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना –**

हितलाभ : योजना के अंतर्गत रूपये 3.00 लाख प्रदाय किया जाता है जिसमें से रू0 1.00 लाख हितग्राहियों के खाते में स्थानांतरित किया जावेगा तथा रू0 2.00 लाख एफ.डी. के रूप में देय होगा। एफ.डी. के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में (मासिक आय योजना M.I.S.) होगा। (श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी)।

पात्रता : निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। हाईजिन प्रयोगशाला द्वारा अथवा किसी अन्य शासकीय चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने संबंधी पुष्टि होने पर योजना का लाभ देय है।

**21.11.18 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना –**

हितलाभ : 150 कि.मी. तक की यात्रा करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड में लगने वाला व्यय मंडल द्वारा देय होगा।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत ऐसे निर्माण श्रमिक जो रेलगाडी में यात्रा कर कार्य पर जाते है।



Scanned with OKEN Scanner

**21.11.19 गरीबी रेखा से ऊपर के निर्माण श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना :–**

हितलाभ : स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रतिवर्ष राशि रूपये 30,000/– चिकित्सा सहायता पूरे परिवार को प्रदाय किया जावेगा। योजना के तहत प्रीमियम राशि मंडल द्वारा दिया जावेगा।

पात्रता : ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो बीपीएल कार्डधारी नहीं हैं।

**21.11.20 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना :–**

पंजीकृत ऐसे निर्माण श्रमिक जो चावड़ी में काम की तलाश में एकत्रित होते है। श्रमिकों को राशि रूपये 05/– में भरपेट गरम भोजन (चावल, दाल, सब्जी एवं आचार) प्रदाय किया जाता है।

वर्तमान में इस योजना के तहत् 05 जिलों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ जिले में कुल 18 सेंटर संचालित है, जिसमें रायपुर जिले में तेलीबांधा, गांधी मैदान, उरला, दुर्ग जिले में सुपेला, कुम्हारी, छावनी भिलाई, मरौदा, दुर्ग, बिलासपुर जिले में बृहस्पति बाजार, तिफरा सब्जी मंडी, राजनांदगांव जिले में जयस्तंभ चौक, दिग्विजय स्टेडियम, टेड़ेसरा, टोलागांव (एबीस), मेडिकल कालेज, कृषि उपज मंडी, इंदामरा एवं रायगढ़ जिले में एनटीपीसी लारा पर वितरण केन्द्र प्रारंभ किया गया है। प्रतिदिन लगभग 1100–1200 श्रमिक गरम एवं पौष्टिक भोजन प्राप्त कर रहे हैं।

योजना के संचालन हेतु मंडल द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2018 को मेसर्स टच स्टोन फाउन्डेशन, भिलाई के साथ अनुबंध किया गया, जिसके अंतर्गत बेस किचन निर्माण हेतु व्यय, वितरण हेतु बर्तन तथा भोजन वितरण हेतु वाहन मंडल द्वारा उक्त संस्था को उपलब्ध कराया गया है।

**21.11.21 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों हेतु वस्त्र प्रदाय योजना :–**

हितलाभ : मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को 01–01 सेट कपड़ा (स्कूल ड्रेस के अतिरिक्त) वर्ष में एक बार मंडल द्वारा देय होगा।

पात्रता : श्रमिक द्वारा जिला श्रम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

**21.11.22 निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना :–**

हितलाभ :
- जिला स्तर पर प्रोत्साहन राशि रूपये – 1,000/–
- संभाग स्तर पर प्रोत्साहन राशि रूपये – 2,000/–
- राज्य स्तर पर प्रोत्साहन राशि रूपये – 5,000/–
- राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन राशि रूपये – 50,000/–



Scanned with OKEN Scanner

पात्रता : मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के अध्ययनरत बच्चे जो एथलेटिक, कबड्डी, खोखो, फुटबाल,बालीबॉल, हेण्डबॉल, तीरंदाजी, कुश्ती, हॉकी, तैराकी में जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते है।

**21.11.23 दुर्घटना से स्थायी दिव्यांग सहायता योजना :–**

हितलाभ : योजना के तहत 1 वर्ष तक मासिक 3000/– रूपये अथवा एकमुश्त पेंशन (मानदेय) राशि रूपये 30,000/– प्रदाय किया जायेगा। (हितग्राही द्वारा जो विकल्प चुना जावेगा)।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक।

**21.11.24 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :–**

**हितलाभ** : गैस चूल्हा एवं प्रथम बार भरा हुआ सिलेंडर मंडल द्वारा दिये जाने का प्रावधान है।

पात्रता : पंजीकृत महिला श्रमिक अथवा पंजीकृत पुरूष श्रमिक की पत्नी।

**21.11.25 निर्माण श्रमिक ई–रिक्शा सहायता योजना :–**

हितलाभ : ई–रिक्शा क्रय करने पर रूपये 50,000/– की अनुदान राशि मंडल द्वारा प्रदाय की जावेगी।

पात्रता : 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत महिला श्रमिक अपने पंजीयन के 90 दिवस पश्चात् योजना अंतर्गत लाभ लेने के पात्र है।

विशेष : मंडल के द्वारा प्रथम 1000 महिला श्रमिकों को रूपये 01 लाख अनुदान सहायता राशि दिया जाना प्रावधानित किया गया है, स्वयं का अंशदान राशि रूपये 10,000/– एवं बकाया राशि बैंक से ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा देय होगा।

**21.11.26 श्रम मित्र सहायता योजना :–**

उद्देश्य : निर्माण श्रमिकों के पंजीयन तथा मंडल द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पंजीकृत श्रमिकों को सरल एवं सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने तथा संचालित योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रभावशील किया गया है।

पात्रता : निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो।

श्रम मित्र : प्रत्येक विकासखंड तथा नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र में 5–5 श्रम मित्र



Scanned with OKEN Scanner

नियुक्त किये जायेंगे। इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में 12 वार्डों की एक यूनिट मानकर प्रत्येक यूनिट में 05–05 श्रम मित्र नियुक्त किये जायेंगे। 05 श्रम मित्र में से कम से कम 02 श्रम मित्र महिला श्रमिक होंगे।

**संयोजक** : प्रत्येक यूनिट में 2 से 3 संयोजक नियुक्त किये जायेंगे, जिनमें से एक महिला होगी।

**श्रम मित्र का मानदेय** : प्रत्येक पंजीयन/योजना के आवेदन स्वीकृत होने पर प्रति आवेदन क्रमशः रूपये 50–50 देय होगा किन्तु मासिक मानदेय की राशि क्रमशः रूपये 2500–2500 से अधिक नही होगी।

**श्रम मित्र का दायित्व** : निर्माण श्रमिकों का पंजीयन/योजना के आवेदन हेतु निकट के च्वाईस सेंटर/श्रम सुविधा केन्द्र/जिला श्रम कार्यालयों में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करवाना।

**संयोजक का दायित्व** : श्रम मित्र के कार्यवाही की निगरानी रखेंगे तथा मार्गदर्शन देंगे। श्रम मित्रों को पंजीयन एवं योजनाओं के आवेदन संकलन करने तथा योजनाओं का प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रेरित करेंगे।

### 21.11.27 विशेष शिक्षा सहायता योजना :–

योजना के तहत् ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनकी मृत्यु पंजीयन से 01 वर्ष पश्चात् होती है, तो मंडल उनके प्रथम 02 संतान हेतु विशेष पंजीयन कार्ड जारी करेगा तथा नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना/मेधावी छात्र–छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना/तकनीकी शिक्षा सहायता योजना के समस्त प्रावधानों का लाभ पात्रतानुसार मृतक के प्रथम 02 संतानों को देय होगा।

मृतक श्रमिक के अतिरिक्त परिवार (माता–पिता) में कोई और पंजीकृत श्रमिक होने पर बच्चों को इस योजना की पात्रता नहीं होगी।



Scanned with OKEN Scanner

## 21.12 योजनावार लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण :–

| क्र. | योजना का नाम | जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक | योजना प्रारंभ से दिसंबर, 2018 तक |
|---|---|---|---|
| 1 | मिनीमाता कन्या विवाह योजना | 17408 | 84666 |
| 2 | भगिनी प्रसूति सहायता योजना | 8230 | 72258 |
| 3 | विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अनुग्रह एवं अंत्येष्टि सहायता योजना | 3176 | 26481 |
| 4 | मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना | 180558 | 322761 |
| 5 | मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना | 120663 | 213028 |
| 6 | मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना | 1797 | 100215 |
| 7 | नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना | 160794 | 569813 |
| 8 | मेधावी छात्र–छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना | 2487 | 70243 |
| 9 | दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना | 18 | 120 |
| 10 | निर्माण श्रमिक ई–रिक्शा सहायता योजना | 38 | 193 |
| 11 | मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर एवं परिवार सशक्तिकरण योजना | 8427 | 24164 |
| 12 | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (converged) | 142364 | 142364 |
| 13 | मुख्यमंत्री सुरक्षा उपकरण सहायता योजना | 35442 | 66120 |
| 14 | अटल पेंशन योजना | 0 | 130 |
| 15 | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना | 10562 | 167170 |
| 16 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना | 0 | 493863 |
| 17 | शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना | 130547 | 283801 |
| 18 | निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना | 0 | 9 |
| 19 | सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता योजना | 0 | 7 |
| 20 | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों हेतु वस्त्र प्रदाय योजना | 0 | 0 |
| 21 | दुर्घटना से स्थायी दिव्यांग सहायता योजना | 0 | 0 |
| 22 | विशेष शिक्षा सहायता योजना | 0 | 0 |
| 23 | निर्माण महिला स्व–सहायता योजना | 0 | 0 |
| 24 | बंधक निर्माण मजदूर सहायता योजना | 0 | 134 |
| 25 | मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन (वैन के माध्यम से किए गए पंजीयन एवं योजना आवेदन की संख्या) | 41504 | 290998 |
| 26 | मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना | 640 | 640 |
| 27 | श्रम मित्र योजना (जिले में नियुक्त श्रम मित्र की संख्या) | 418 | 994 |
| | **योग** | **865073** | **2930172** |

Scanned with OKEN Scanner

**21.13 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मंडल द्वारा वर्ष 2018–19 में हितग्राहियों को प्रदान की गई सामग्री का विवरण :–**

| क्र. | सामग्री का नाम | लक्ष्य | वितरण |
|---|---|---|---|
| 1 | सिलाई मशीन | 9000 | 2726 |
| 2 | सायकल | 180000 | 175420 |
| 3 | प्लंबर | 3367 | 2930 |
| 4 | इलेक्ट्रिशियन | 5548 | 4699 |
| 5 | पेंटर | 1991 | 844 |
| 6 | कारपेंटर | 3489 | 2355 |
| 7 | राजमिस्त्री | 28274 | 23035 |
| 8 | रेजा–कुली | 92181 | 88481 |
| 9 | सुरक्षा उपकरण | 135000 | 37746 |
| 10 | टोपी | 597240 | 542890 |
| **कुल** | | **1056090** | **881126** |

**21.14 मंडल की वित्तीय व्यवस्था :–**

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रदेश में संचालित निर्माण कार्यो से निर्माण लागत का एक प्रतिशत (जमीन की लागत एवं कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत भुगतान की गई क्षतिपूर्ति राशि) उपकर मंडल को भुगतान किये जाने का प्रावधान है, केवल 10 लाख रूपये तक के स्वयं के आवास हेतु निर्माण कार्य को उपकर भुगतान से छूट प्राप्त है। जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि में मंडल द्वारा रूपये 1,44,56,35,252/– उपकर राशि संग्रहित किया गया है । वर्षवार उपकर संग्रहण की जानकारी निम्नानुसार है–

| क्र. | वर्ष | प्राप्त उपकर (रू0 लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | 2008-09 | 0.04387 |
| 2 | 2009-10 | 355.24761 |
| 3 | 2010-11 | 3841.84437 |
| 4 | 2011-12 | 6240.16347 |
| 5 | 2012-13 | 8527.42070 |
| 6 | 2013-14 | 13481.25824 |
| 7 | 2014-15 | 13192.46656 |
| 8 | 2015-16 | 12689.83537 |
| 9 | 2016-17 | 17252.04504 |
| 10 | 2017-18 | 17839.36126 |
| 11 | 2018-19 (दिसंबर 2018 तक) | 14456.35252 |
| **योग** | | **107876.03901** |

Scanned with OKEN Scanner

## 21.15 मंडल का व्यय :–

मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य प्रशासकीय कार्यों पर वर्ष 2018–19 में लगभग 147 करोड़ रूपये व्यय हुआ है। वर्षवार व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :–

| क्र. | वर्ष | स्थापना व्यय (राशि रूपये) | योजनाओं पर व्यय (राशि रूपये) | कुल व्यय (रू0 लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2009-10 | 532726 | 33560 | 5.66286 |
| 3 | 2010-11 | 10785249 | 23908726 | 346.93975 |
| 4 | 2011-12 | 4787818 | 117857380 | 1226.45198 |
| 5 | 2012-13 | 7114131 | 572045830 | 5791.59961 |
| 6 | 2013-14 | 7937116 | 1034413834 | 10423.50950 |
| 7 | 2014-15 | 9825142 | 620024024 | 6298.49166 |
| 8 | 2015-16 | 18750261 | 1200716764 | 12194.67025 |
| 9 | 2016-17 | 21547984 | 1817697543 | 18392.45527 |
| 10 | 2017-18 | 64226468 | 2026747314 | 20909.73782 |
| 11 | 2018-19 (दिसंबर 2018 तक) | 72727772 | 1398246326 | 14709.74098 |
| **योग** | | **218234667** | **8811691301** | **90299.25968** |

Scanned with OKEN Scanner

# 22. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, रायपुर

**22.1** असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 केन्द्रीय अधिनियम है, जो वर्ष 2008 से प्रभावशील है। अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम 2010 बनाया गया, जो दिनांक 12.08.2010 से प्रभावशील है। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का गठन दिनांक 04.01.2011 को किया गया। माननीय श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन मंडल के पदेन अध्यक्ष हैं।

**22.2 (अ) असंगठित कर्मकार का आशय है –**

- स्वनियोजित कर्मकार,
- घरों में काम करने वाले,
- मजदूरी पर नियोजित,
- कृषि श्रमिक जो भूमिहीन या सीमान्त
- असंगठित क्षेत्र के कर्मकार

**(ब) ऐसे संस्थान जिन पर निम्न अधिनियम प्रभावशील है उसमें कार्यरत श्रमिक असंगठित श्रेणी में नहीं आते हैं।**

- कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923.
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947.
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948.
- कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम, 1952.
- मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961.
- उपादान भुगतान अधिनियम, 1972.

**(स) जिनकी मासिक आय शहरी 15 हजार एवं ग्रामीण 10 हजार**

Scanned with OKEN Scanner

## 22.3 मंडल के कार्य (असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के प्रावधानुसार)

- असंगठित क्षेत्र के कर्मकार हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने के लिए राज्य शासन को अनुशंसा करना।
- अधिनियम के संचालन हेतु राज्य शासन को सलाह देना।
- असंगठित कर्मकारों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का परिवीक्षण करना।
- जिला स्तर पर संधारित किये जाने वाले अभिलेखों की समीक्षा।
- असंगठित कर्मकारों के पंजीयन, स्मार्ट कार्ड आदि की समीक्षा।
- विभिन्न योजनाओं के अतंर्गत व्यय की समीक्षा।
- राज्य शासन द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का दायित्व निर्वहन।

## 22.4 अधिसूचित किये गए असंगठित कर्मकारों का वर्ग :–

अधिनियम 2008 की धारा 14(1) के अंतर्गत 53 प्रवर्ग के कर्मकारों को अधिसूचित किया गया है। विवरण निम्नानुसार है –

1. धोबी, 2. दर्जी, 3. माली, 4. मोची 5. नाई, 6 बुनकर, 7. रिक्शा चालक, 8. घरेलू कामगार, 9. कचरा बिनने वाले, 10. हाथ ठेला चलाने वाले, 11. फुटकर सब्जी, फल–फुल विकेता, 12. चाय, चाट, ठेला लगाने वाले, 13. फुटपाथ व्यापारी, 14. हमाल, कुली रेजा, 15. जनरेटर/लाईट उठाने वाले, 16. केटरिंग में कार्य करने वाले, 17. फेरी लगाने वाले, 18. मोटर सायकल/सायकल मरम्मत करने वाले, 19. गैरेज मजदूर, 20. परिवहन में लगे मजदूर, 21. ऑटो चालक, 22. सफाई कामगार 23. ढोल/बाजा बजाने वाले, 24 टेंट हाउस में काम करने वाले, 25. वनोपज में लगे मजदूर, 26. मछुआरा, 27. दाई का काम करने वाली, 28. तांगा/बैलगाड़ी चलाने वाले, 29. तेल पेरने वाले, 30. अगरबत्ती बनाने वाले, 31. गाड़ीवान, 32. घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, 33. भड़भूजे (मुर्रा चना फोड़ने वाले), 34. पशुपालन/मत्स्य पालन, मुर्गी/बतख पालन में लगे मजदूर, एवं करने वाले, 35. दुकानों में काम करने वाले मजदूर 36. खेतीहर मजदूर, 37. राउत, चरवाहा, दूध दूहने वाले, 38. मितानीन, 39. नाव चलाने वाले (नाविक), 40. कंसारी, 41. नट–नटनी 42. देवार, 43. शिकारी, 44. अन्य घुमंतु जाति, 45. खैरवार, 46. रसोइया, 47. हड्डी बिनने वाले (हड्बिन्ने) 48. काष्ठागार में काम करने वाले हमाल, 49. समाचार पत्र बांटने वाले (हॉकर), 50. सिनेमा घर में कार्यरत लाईटमैन, स्पॉट बॉय, कैमरा मैन, मेकअप मैन, 51. सोना चांदी की दुकानों में काम करने वाले कारीगर, 52. कोटवार, 53. ठेका मजदूर (छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल में लगे ठेका मजदूर तथा ई0एस0आई0 एवं भविष्य निधि योजना में शामिल ठेका मजदूरों को छोड़कर)।

Scanned with OKEN Scanner

## 22.5 असंगठित कर्मकार पंजीयन हेतु आवेदन की प्रकिया :–

- श्रम विभाग के वेबसाईट cglabour.nic.in में जाकर आवेदन भर सकते हैं।
- पंजीयन हेतु आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर से या जिला श्रम कार्यालय में जाकर कर सकते हैं।
- पंजीयन हेतु लगने वाला आवश्यक दस्तावेज –
  - आयु प्रमाण पत्र (अंक सूची, मतदाता परिचय पत्र या जन्म प्रमाण–पत्र)।
  - स्व–घोषणा प्रमाण पत्र।
  - आय प्रमाण पत्र।
  - बैंक के पासबुक की छायाप्रति।
  - राशन कार्ड (वैकल्पिक)।
  - स्मार्ट कार्ड (वैकल्पिक)।
  - मोबाईल नंबर (आवेदन के पंजीयन/योजनाओं के लाभ की सूचना प्रदत्त करने हेतु)।
  - 01 नग पासपोर्ट साईज कलर फोटो।
- पंजीयन के लिये शुल्क देय नहीं है।

## 22.6 हितग्राही पंजीयन (वर्ष 2018–19) :–

| क्रमांक | विवरण | हितग्राही |
|---|---|---|
| 1 | मंडल में पंजीकृत हितग्राही | 5,68,203 |
| 2 | आधार लिंकिंग | 5,72,153 |
| 3 | बैंक अकाउंट लिंकिंग | 5,81,619 |
| 4 | मोबाईल नंबर लिंकिंग | 5,76,213 |
| 5 | मंडल में कुल पंजीकृत हितग्राही (23 जनवरी 2018 की स्थिति में) | 14,55,718 |



Scanned with OKEN Scanner

## 22.7 छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित योजनाएं

### 22.7.1 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना :-

हितलाभ : एक सायकल (प्रति हितग्राही) देय होगा।

पात्रता : – 18 से 40 वर्ष आयु समूह के पंजीकृत महिला कर्मकार।
– मंडल के सिलाई मशीन योजना अथवा राज्य शासन की किसी अन्य योजना से सायकल प्राप्त करने वाले हितग्राही अपात्र होंगे।

### 22.7.2 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन योजना :-

हितलाभ : एक सिलाई मशीन (प्रति हितग्राही) देय होगा।

पात्रता : पंजीकृत महिला श्रमिक जो 18 से 50 वर्ष आयु समूह की हो। वह महिला कर्मकार जो सिलाई कढ़ाई, बुनाई (दर्जी) का काम करती है या किसी नियोजक के यहां कार्यरत है अथवा स्वयं का व्यवसाय हो एवं प्रदेश के किसी भी जिले से पंजीकृत हो, को लाभ प्रदाय किया जावेगा। मंडल द्वारा सायकल सहायता योजना अथवा राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र होंगे।

### 22.7.3 मुख्यमंत्री ई–रिक्शा सहायता योजना :-

हितलाभ : योजनांतर्गत पंजीकृत रिक्शा/ऑटो चालकों को ई–रिक्शा क्रय हेतु मंडल का अनुदान राशि रूपये 50,000/– स्वयं का अंशदान राशि रूपये 10,000/– एवं बकाया राशि बैंक से ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा देय होगा। योजनांतर्गत बैंक से ऋण प्राप्ति का अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही मंडल का अनुदान राशि रूपये 50,000/– हितग्राही को देय होगा।

पात्रता : 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत सायकल रिक्शा चालक/ऑटो चालक अथवा पंजीकृत श्रमिकों के पंजीकृत समूह ।

### 22.7.4 ई–ठेला सहायता योजना :-

हितलाभ : योजनांतर्गत पंजीकृत हाथ ठेला चलाने वाले को ई–ठेला हेतु मंडल का अंशदान राशि रूपये 30,000/– का अनुदान। योजनांतर्गत बैंक से ऋण प्राप्ति का अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही मंडल का अंशदान राशि रूपये 30,000/– हितग्राही को देय होगा।

पात्रता : 18 से 50 आयु समूह के हाथ ठेला चलाने वाले पंजीकृत कर्मकार।

Scanned with OKEN Scanner

**22.7.5 स्मार्ट वेंडिंग कार्ट (रेडिमेड किचन) सहायता योजना :—**

हितलाभ : योजनांतर्गत पंजीकृत चाय, चाट ठेला लगाने वाले अथवा ठेला लगाकर खाद्य सामग्री बेचने वाले को स्मार्ट वेडिंग कार्ट (रेडिमेड किचन) हेतु मंडल का अनुदान राशि रूपये 30,000/— का अनुदान। योजनांतर्गत बैंक से ऋण प्राप्ति का अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही मंडल का अंशदान राशि रूपये 30,000/— हितग्राही को देय होगा।

पात्रता : 18 से 50 आयु समूह के चाय, चाट ठेला लगाने वाले अथवा ठेला लगाकर खाद्य सामग्री बेचने वाले पंजीकृत कर्मकार।

**22.7.6 असंगठित कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना :—**

हितलाभ : पंजीकृत असंगठित कर्मकार के मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को अंत्येष्टि हेतु राशि रूपये 5,000/— की सहायता।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत असंगठित कर्मकार।

**22.7.7 कचरा बीनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना :—**

हितलाभ : मंडल में पंजीकृत कचरा बीनने वाले को जेम द्वारा निर्धारित दर पर सुरक्षा उपकरण हेतु दस्ताना, जूता एवं रेनकोट प्रदान किया जावेगा।

पात्रता : मंडल में पंजीकृत 18 से 60 वर्ष आयु समूह के असंगठित कर्मकार।

— राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त करने वाले पंजीकृत कर्मकार इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं है।

**22.7.8 असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना :—**

हितलाभ : एक सायकल प्रति हितग्राही देय होगा।

पात्रता : पंजीकृत असंगठित समाचार पत्र बांटने वाले (हॉकर) कर्मकार।

— राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र होंगे।

**22.7.9 असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना :—**

हितलाभ : पंजीकृत असंगठित कर्मकार को किडनी, केंसर, सिकलिंग (सिकलसेल एनीमिया), हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग के ईलाज हेतु 50000/— रूपये की चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुये वास्तविक व्यय जो भी कम हो प्रदाय किया जायेगा।

पात्रता : 18 से 60 वर्ष की आयु के असंगठित कर्मकार जो मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो।

Scanned with OKEN Scanner

**22.7.10 मुख्यमंत्री राऊत, चरवाहा एवं दूध दूहने वाले सायकल सहायता योजना :–**

हितलाभ : एक सायकल प्रति हितग्राही ।

पात्रता : – 18 से 60 वर्ष तक के राऊत, चरवाहा एवं दुध दुहने वाले पंजीकृत असंगठित कर्मकार ।

–राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले असंगठित कर्मकार इस योजना के लाभ हेतु अपात्र होंगे।

**22.7.11 मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टॉर्च सहायता योजना :–**

हितलाभ : एक सायकल एवं टॉर्च हेतु रूपये 750/– प्रति हितग्राही।

पात्रता : पंजीकृत असंगठित कर्मकार कोटवार वर्ग की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक की हो।

– राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त करने वाले संगठित कर्मकार इस योजना के लाभ हेतु अपात्र होंगे।

**22.7.12 फुटकर सब्जी, फल–फूल विक्रेता हेतु तराजू बाट एवं टोकरी सहायता योजना**

हितलाभ : योजनांतर्गत पंजीकृत फुटकर सब्जी, फल–फूल विक्रेता हेतु तराजू बाट एवं टोकरी क्रय करने हेतु रू. 1,000/– एक बार दिये जाने का प्रावधान है।

पात्रता : 18 से अधिक आयु वाले फुट फुटकर सब्जी, फल–फूल विक्रेता प्रवर्ग में पंजीकृत असंगठित कर्मकार।

**22.7.13 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Converged) :–**

हितलाभ : 1. वार्षिक किश्त के रूप में रूपये 342/– में से रूपये 171/– मंडल द्वारा देय एवं शेष रूपये 171/– भारत शासन द्वारा देय।

2. सामान्य मृत्यु पर रूपये 2,00,000/– एवं दुर्घटना से मृत्यु पर रूपये 4,00,000/– देय।

3. स्थायी अपंगता पर रूपये 2,00,000/– देय।

पात्रता : पंजीकृत असंगठित कर्मकार।

**22.7.14. अटल पेंशन योजना :–**

हितलाभ : 1. मंडल द्वारा पंजीकृत असंगठित कर्मकार के पेंशन खाते में केन्द्रांश द्वारा कर्मकार द्वारा जमा राशि का पचास प्रतिशत अथवा रूपये 1,000/– जो कम हो प्रथम 05 वर्ष तक देय।

Scanned with OKEN Scanner

2. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार ... प्रतिवर्ष दिया जाता है।

3. इस योजना में जमा अंशदान अनुसार 60 वर्ष की आयु पश्चात हितग्राही को मासिक पेंशन देय होगा।

4. हितग्राही की मृत्यु की दशा में उसके नामित व्यक्ति को पेंशन खाते में जमा राशि ब्याज सहित प्रदाय किया जाता है।

पात्रता : योजना में 18 से 40 वर्ष आयु समूह के असंगठित कर्मकार।

**22.7.15 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना :–**

हितलाभ : योजना के अंतर्गत रेलगाड़ियों में 150 कि.मी. तक दैनिक यात्रा करने वाले पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को मंडल द्वारा रेल्वे के मासिक पास पर लगने वाला व्यय का भुगतान किया जाता है।

पात्रता : योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार मंडल में पंजीयन होना आवश्यक है। राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।

**22.7.16 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना :–**

योजना के अंतर्गत चावड़ी में एकत्रित होने वाले पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को जहां पर शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना श्रम विभाग द्वारा संचालित है , रुपये 5/– के कूपन पर गरम भोजन प्रदाय किया जावेगा।

**22.7.17 सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना :–**

- योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित वर्गो के श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- योजना का लाभ हाईजिन प्रयोगशाला द्वारा अथवा किसी अन्य शासकीय चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने संबंधी पुष्टि होने पर।
- आवेदन जिले के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए जायेंगे अथवा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर को भी सूचित किया जा सकता है।
- योजना के अंतर्गत रूपये 3.00 लाख प्रदाय किया जावेगा, जिसमें से राशि रू0 1.00 लाख हितग्राहियों के खाते में स्थानांतरित किया जावेगा तथा रू0 2.00 लाख एफडी के रूप में देय



Scanned with OKEN Scanner

होगा। एफडी के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में (मासिक आय योजना M.I.S.) होगा। (श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी) मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

**22.7.18 धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना :–**

हितलाभ : पंजीकृत 18 से 60 वर्ष वाले धोबी को रूपये 1500/– तक की सामग्री– इलेक्ट्रानिक/कोयला आयरन, क्लाथ्स पिन, वाशिंग पैडल (थपी/कुटेला) प्रदान किया जावेगा।

पात्रता : – 18 से 60 आयु समूह के पंजीकृत धोबी कर्मकार।
– राज्य शासन के किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

**22.7.19 नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना :–**

हितलाभ : योजनांतर्गत पंजीकृत नाई को 1500/– रूपये तक की सामग्री –कैंची, स्ट्रेट रेजर, कंघी, हेयर कटिंग केप, वाटर स्प्रे बॉटल एवं शेविंग ब्रश सहित नाई किट केवल ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों को देय होगा।

पात्रता : – 18 से 60 आयु समूह के पंजीकृत नाई कर्मकार।
– राज्य भासन के किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

**22.7.20 असंगठित कर्मकार विवाह योजना :–**

हितलाभ : इस योजना के अंतर्गत राशि रूपये 15,000/– प्रति विवाह सहायता देय होगी।

**पात्रता** : – असंगठित महिला कर्मकार के दो पुत्रियों की सीमा तक पात्रता।
– पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार के स्वयं के विवाह/एक बार पुनर्विवाह अथवा सफाई कर्मकार के धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली पुत्री जिनकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो।

**22.7.21 असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना :–**

हितलाभ : रूपये 500/– से रूपये 5000/– तक पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति एकमुश्त प्रदाय की जायेगी।

पात्रता : – पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के कक्षा 1 से स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तक अध्ययनरत पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।



Scanned with OKEN Scanner

यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्नीक अथवा अन्य पाठ्यक्रम के पश्चात् न्यूनतम 01 वर्ष अध्ययन की अनिवार्यता होगी। 01 वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस करनी होगी।

– यदि कोई छात्र/छात्रा अन्य शासकीय विभाग/संस्था की अन्य योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त कर रहा है जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद है तो वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

### 22.7.22 असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना :–

हितलाभ : पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार को प्रसव पश्चात् एकमुश्त राशि रुपये 10,000/– की सहायता राशि प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार को योजना का लाभ केवल दो बार प्रसव हेतु देय होगा।

### 22.7.23 सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना :–

हितलाभ :– योजना के अंतर्गत पंजीकृत सफाई कर्मकार एवं परिवार के सदस्यों को सीएसएसडीए द्वारा चिन्हांकित व्यवसायों में व्ही.टी.पी. के द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

– मंडल द्वारा प्रशिक्षणरत कर्मकार को श्रम विभाग के द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से प्रत्येक दिन हेतु मानदेय प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : मंडल द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत सफाई कर्मकारों को योजना में शामिल किया जावेगा तथा अकुशल श्रमिक की भांति न्यूनतम वेतन मानदेय देय होगा। यदि कोई कर्मकार राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के लिए अपात्र होगा।

### 22.7.24 सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना :–

हितलाभ : रूपये 1000/– से रूपये 15000/– तक पंजीकृत सफाई कर्मकारों के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति एकमुश्त प्रदाय की जायेगी।

पात्रता : पंजीकृत सफाई कर्मकार के कक्षा 1 से स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तक अध्ययनरत पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

– यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्नीक अथवा अन्य पाठ्यक्रम के पश्चात् न्यूनतम 01 वर्ष अध्ययन की अनिवार्यता होगी। 01 वर्ष के



Scanned with OKEN Scanner

बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।

– यदि कोई छात्र/छात्रा अन्य शासकीय विभाग/संस्था की अन्य योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त कर रहा है जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद है तो वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

**22.7.25 सफाई कर्मकार के पुत्र–पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना :–**

हितलाभ : कक्षा दसवी एवं उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत पुत्र/पुत्री (दो संतानों) को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सी.ए., एम.बी.ए. अथवा अन्य व्यवसायिक शिक्षा में प्रवेश हेतु विशेष कोचिंग हेतु लगने वाला शुल्क मंडल द्वारा देय होगा।

पात्रता : – पंजीकृत सफाई कर्मकारों के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को विशेष कोचिंग का शुल्क प्रदान किया जावेगा।

– यदि कोई छात्र/छात्रा अन्य शासकीय विभाग/संस्था की अन्य योजनांतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है जो उसके लिए हितकर/ लाभप्रद है तो वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

**22.7.26 सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना :–**

हितलाभ : पंजीकृत सफाई कर्मकार अथवा उनके परिवार के सदस्य को स्वास्थ्य परीक्षण सहायता राशि रूपये 2000 तक चिकित्सा सहायता दवाई क्रय हेतु वर्ष में प्रदाय की जावेगी।

पात्रता : – 18 से 60 वर्ष के पंजीकृत सफाई कर्मकार एवं उनके परिवार के सदस्य (पति–पत्नि, पुत्र एवं पुत्री) जिनका उल्लेख पंजीयन कार्ड में है।

– शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा प्रामाणिक देयक की प्रतिपूर्ति (उन्हीं दवा के देयक जो शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है।) की जावेगी।

**22.7.27 सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना :–**

हितलाभ : पंजीकृत सफाई कर्मकार के शाला/विश्वद्यिालय में अध्ययनरत पुत्र/पुत्री (दो संतान तक) को सायकल।

पात्रता : यदि पंजीकृत सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री शाला/विश्वविद्यालय में अध्यनरत है तथा उन्हें शिक्षा विभाग से सायकल सहायता योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तभी उन्हें हितलाभ प्रदान किया जावेगा।



Scanned with OKEN Scanner

**22.7.28 सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना :–**

हितलाभ : पंजीकृत सफाई महिला कर्मकार को गर्भधारण के प्रथम तिमाही (तीसरे माह में) रूपये 5,000/– एवं तृतीय तिमाही (आठवें माह) रूपये 5,000/– प्रसूति लाभ देय होगी।

पात्रता : – पंजीकृत सफाई कर्मकार महिला को योजना का लाभ केवल दो बार प्रसव हेतु देय होगा।

– सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में नियमित कार्यरत सफाई कर्मकारों की पत्नी अपात्र होगी।

**22.7.29 सफाई कर्मकार विवाह योजना :–**

हितलाभ : इस योजना के अंतर्गत राशि रूपये 15,000/– प्रति विवाह सहायता देय होगी।

पात्रता : – पंजीकृत सफाई कर्मकार के दो पुत्रियों की सीमा तक पात्रता।

–पंजीकृत महिला सफाई कर्मकार के स्वयं के विवाह/एकबार पुनर्विवाह अथवा सफाई कर्मकार के धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली पुत्री जिनकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो।

**22.7.30 सफाई कर्मकार आवश्यक उपकरण सहायता योजना :–**

हितलाभ : पंजीकृत हितग्राही को आवश्यक उपकरण गमबूट, दस्ताने, मास्क एवं एप्रेन हेतु राशि रूपये 1,000/– प्रतिवर्ष प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : –पंजीकृत सफाई कर्मकार 18 से 60 वर्ष की आयु वाले हितग्राही योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

–राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

**22.7.31 सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना :–**

हितलाभ : पंजीकृत सफाई कर्मकार को किडनी, केंसर, सिकलिंग (सिकलसेल, एनीमिया), हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग के ईलाज हेतु 50,000/– रूपये की चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुये वास्तविक व्यय जो भी कम हो प्रदाय किया जायेगा।

पात्रता : 18 से 60 वर्ष की आयु के असंगठित कर्मकार जो मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो।

Scanned with OKEN Scanner

**22.7.32 ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना :–**

हितलाभ : पंजीकृत ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक को स्वास्थ्य परीक्षण सहायता राशि रूपये 2000 तक चिकित्सा सहायता दवाई क्रय हेतु वर्ष में प्रदाय की जावेगी।

पात्रता : 18 से 60 वर्ष के पंजीकृत ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक को शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणिक देयक की प्रतिपूर्ति (उन्हीं दवा के देयक जो शासकीय चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है।) की जावेगी।

**22.7.33 ठेका, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चो हेतु छात्रवृत्ति योजना:–**

हितलाभ : रूपये 500/– से रूपये 5000/– तक पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति एकमुश्त प्रदाय की जायेगी।

**पात्रता** :– पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के कक्षा 1 से स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तक अध्ययनरत पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

– यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्नीक अथवा अन्य पाठ्यक्रम के पश्चात् न्यूनतम 01 वर्ष अध्ययन की अनिवार्यता होगी। 01 वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।

– यदि कोई छात्र/छात्रा अन्य शासकीय विभाग/संस्था की अन्य योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त कर रहा है जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद है तो वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

**22.7.34 ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना :–**

हितलाभ : पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक को प्रसव पश्चात् एकमुश्त राशि रुपये 10,000/– की सहायता राशि प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक को योजना का लाभ केवल दो बार प्रसव हेतु देय होगा। सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में नियमित कार्यरत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक की पत्नी अपात्र होगी।

**22.7.35 ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना :–**

हितलाभ : इस योजना के अंतर्गत राशि रूपये 15,000/– प्रति विवाह सहायता देय होगी।



Scanned with OKEN Scanner

पात्रता : पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के दो पुत्रियों की सीमा तक पात्रता।

– पंजीकृत महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के स्वयं के विवाह/एकबार पुनर्विवाह अथवा ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली पुत्री जिनकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो।

**22.7.36 हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजनाः–**

हितलाभ : पंजीकृत असंगठित हमाल कर्मकारों को जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी प्रति हितग्राही देय होगा।

पात्रता : 18 से 60 वर्ष के आयु समूह के पंजीकृत हमाल पात्र होंगे।

– राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य किसी समानांतर योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।

**22.7.37 घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजनाः–**

हितलाभ : पंजीकृत घरेलू महिला कामगार को सायकल, छतरी, चप्पल/जूता प्रति हितग्राही प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : इस योजना में 18 से 60 वर्ष के आयु समूह के पंजीकृत घरेलू महिला कामगार पात्र होंगे।

– राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य किसी समानांतर योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।

**22.7.38 घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल कामगार परिवार सशक्तिकरण योजनाः–**

हितलाभ : योजना के अंतर्गत समय–समय पर सीएसएसडीए में पंजीकृत व्ही.टी.पी द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मंडल द्वारा पंजीकृत घरेलू महिला श्रमिक को स्वयं एवं ठेका श्रमिक एवं हमाल के परिवार के सदस्यों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जावेगा।

पात्रता : आयु 18 वर्ष से अधिक तथा मंडल में घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल कामगार के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

**22.7.39 ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजनाः–**

हितलाभ : पंजीकृत सफाई कर्मकार को किडनी, केंसर, सिकलिंग (सिकलसेल, एनीमिया), हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग के ईलाज हेतु 50,000/– रूपये की चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुये वास्तविक व्यय जो भी



Scanned with OKEN Scanner

कम हो प्रदाय किया जायेगा।

पात्रता : 18 से 60 वर्ष की आयु के असंगठित कर्मकार जो मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो।

## 22.8 छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल को प्राप्त बजट एवं व्यय की जानकारी

छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल को राज्य शासन द्वारा पंजीकृत असंगठित कर्मकारों हेतु योजनाओं के संचालन हेतु बजट प्रदान किया जाता है।

### 22.8.1 वर्ष 2018–19 में बजट की जानकारी

| क्र0 | मद का नाम | प्राप्त बजट | 01/04/2018 से 31/12/2018 तक व्यय की जानकारी |
|---|---|---|---|
| 1 | असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल | 41 करोड़ 68 लाख 20 हजार | 35,20,22,207 |
| 2 | असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मंडल | 10 करोड़ 59 लाख 40 हजार | 2,49,35,050 |
| 3 | ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल | 16 करोड़ 32 लाख 80 हजार | 11,39,61,246 |

### 22.8.2 योजनांतर्गत लाभान्वित श्रमिकों की संख्या एवं व्यय राशि का विवरण :–

| क्र0 | योजना का नाम | 01 अप्रैल 2018 से 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में | |
|---|---|---|---|
| | | लाभान्वित श्रमिक संख्या | व्यय राशि |
| 1 | मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना | 39,642 | 14,67,78,651 |
| 2 | मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना | 4,031 | 1,27,58,200 |
| 3 | असंगठित कर्मकार समाचार–पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना | 1,087 | 38,60,344 |
| 4 | मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना | 8 | 3,50,000 |
| 5 | अटल पेंशन योजना | 0 | 0 |
| 6 | मुख्यमंत्री राऊत, चरवाहा एवं दूध दूहने वाले सायकल सहायता योजना | 1,999 | 71,18,625 |
| 7 | मुख्यमंत्री कोटवार, सायकल एवं टार्च सहायता योजना | 172 | 6,08,949 |
| 8 | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Converged) | 12,43,521 | 21,26,42,091 |
| 9 | ई–रिक्शा सहायता योजना | 783 | 3,82,80,000 |
| 10 | ई–ठेला सहायता योजना | 11 | 4,10,000 |



Scanned with OKEN Scanner

| क्र0 | योजना का नाम | 01 अप्रैल 2018 से 31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में | |
|---|---|---|---|
| | | लाभान्वित श्रमिक संख्या | व्यय राशि |
| 11 | स्मार्ट वेंडिंग कार्ट (रेडिमेड किचन) सहायता योजना | 0 | 0 |
| 12 | कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना | 3,653 | 22,61,123 |
| 13 | फुटकर सब्जी, फल–फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट सहायता योजना | 14 | 9800 |
| 14 | असंगठित कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना | 27 | 1,35,000 |
| 15 | मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना | 0 | 0 |
| 16 | शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना | 1,17,950 | 17,21,480 |
| 17 | सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना | 1 | 2,00,000 |
| 18 | धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना | 0 | 0 |
| 19 | नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना | 0 | 0 |
| 20 | असंगठित कर्मकारों के बच्चो हेतु छात्रवृत्ति योजना | 0 | 0 |
| 21 | असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना | 0 | 0 |
| 22 | असंगठित कर्मकार विवाह सहायता योजना | 42 | 6,30,000 |
| 23 | सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना | 340 | 78,45,175 |
| 24 | सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना | 51 | 1,18,750 |
| 25 | सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना | 1 | 72500 |
| 26 | सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना | 0 | 0 |
| 27 | सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना | 685 | 25,95,095 |
| 28 | सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना | 45 | 3,90,000 |
| 29 | सफाई कर्मकार विवाह योजना | 47 | 8,40,000 |
| 30 | सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना | 8,747 | 52,75,588 |
| 31 | सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना | 0 | 0 |
| 32 | ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना | 0 | 0 |
| 33 | ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना | 1,361 | 13,68,750 |



Scanned with OKEN Scanner

# 23. राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, रायपुर

23.1 **गतिविधियाँ** :– यह एक न्यायिक संगठन है, इस संगठन द्वारा श्रमिकों एवं नियोजकों के मध्य उत्पन्न विवादों का निराकरण श्रम विधि के अनुसार किया जाता है। औद्योगिक न्यायालय का गठन औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 तथा श्रम न्यायालय का गठन धारा 8 के अंतर्गत किया गया है। औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–7(ए) के अंतर्गत किया गया है। धारा–7(ए) के अनुसार कोई भी औद्योगिक विवाद चाहे वह संविधान की अनुसूची–2 का विषय हो अथवा अनुसूची–3 का हो राज्य शासन द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सौंपा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण/औद्योगिक न्यायालय का गठन दिनांक 01.08.2002 से किया गया है। जिसमें एक अध्यक्ष एवं एक या एक से अधिक सदस्य जज का प्रावधान रखा गया है। इसका मुख्यालय रायपुर में स्थापित है। वर्तमान में औद्योगिक न्यायालय का खंडपीठ बिलासपुर में स्थापित किया गया है, जो 01 जनवरी 2007 से कार्य कर रहा है। वर्तमान में यहाँ एक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक सदस्य जज पदस्थ है।

छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक न्यायालय के अंतर्गत 14 श्रम न्यायालय कार्यरत है। वे श्रम न्यायालय क्रमांक–1 एवं क्रमांक–2 रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, अम्बिकापुर, रायगढ़, कोरबा, धमतरी, जांजगीर–चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद तथा मनेन्द्रगढ़ जिला में स्थापित व कार्यरत है।

श्रम विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–7/2015/16, दिनांक 08.12.2015 के द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक संगठन को माननीय उच्च न्यायालय के नियंत्रण में लिया गया है।

23.2 **उपलब्धियाँ** :– विद्यमान श्रम न्यायालयों द्वारा हर वर्ष लाखों रूपयों के अर्थदंड की राशि वसूल कर शासन के खाते में जमा कराई जाती है। वर्ष 2018 में जनवरी माह से माह दिसम्बर 2018 तक लगभग 1,76,91,850/– रूपये (एक करोड़ छिहतर लाख इनकानवे हजार आठ सौ पचास रूपये) अर्थदंड एवं नकद शुल्क रूपये 35,252/– (पैंतीस हजार दो सौ बावन रूपये) वसूल कर शासन के खाते में जमा किया गया। श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को कर्मकार क्षतिपूर्ति



Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम के अंतर्गत आयुक्त, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम का अधिकार दिया गया है। उनको द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत मृतक श्रमिकों के आश्रित परिवारजनों को क्षतिधन की राशि रूपये 7,86,62,009/– (सात करोड़ छियासी लाख, बासठ हजार नौ रूपये) का भुगतान कराया गया है।

23.3 **संपादित कार्यों का विस्तृत प्रगति विवरण** :– औद्योगिक न्यायालय रायपुर एवं औद्योगिक न्यायालय खंडपीठ, बिलासपुर में माह जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक 64 प्रकरणों का निराकरण किया गया है एवं श्रम न्यायालयों द्वारा माह जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018 तक सिविल प्रकरण 1325 एवं फौजदारी प्रकरण 1910 इस प्रकार कुल 3235 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

23.4 **योजनाएँ** :– यह एक श्रम न्यायिक संगठन है। यहां किसी प्रकार की योजना का कार्य नहीं किया जाता है, और न ही इस कार्य हेतु शासन की ओर से कोई बजट उपलब्ध होता है।

Scanned with OKEN Scanner

# 24. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, छत्तीसगढ़

24.1 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Employees state Insurance Act 1948) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देश के अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी लागू है। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने वाली यह योजना सभी कारखानों, सिनेमाघरों, ट्रांसपोर्ट तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, निजी सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थाओं पर लागू है। संस्थानों में 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत होने पर यह योजना लागू होती है।

24.2 वर्तमान में रुपये 21,000/– प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले श्रमिकों तथा उनके परिवारों को भी योजना में सम्मिलित किया गया है। योजना में सम्मिलित श्रमिकों को बीमित व्यक्ति कहते हैं।

24.3 बीमित व्यक्तियों के वेतन से उनके वेतन का 1.75% तथा नियोक्ताओं द्वारा बीमित के वेतन का 4.75% अंशदान नियमित रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम को जमा करवाना होता है।

24.4 योजना के अनुसार हितग्राहियों को चिकित्सा हितलाभ राज्य शासन द्वारा दिया जाता है।

24.5 हितग्राहियों को चिकित्सा हितलाभ देने के लिये वर्तमान में रू. 3000 प्रति बीमित व्यक्ति प्रतिवर्ष की सीलिंग निर्धारित की गई है। बीमित व्यक्तियों की संख्या लगभग 6 लाख है। इस प्रकार से 600000 X 3000 = 180,0000000 अतः बीमित व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा हितलाभ देने के लिये एक वर्ष में 180 करोड़ रु. का व्यय किया जा सकता है। चिकित्सा हितलाभ पर होने वाले व्यय का निर्धारित सीलिंग के अन्तर्गत 1/8 भाग (12.5%) राज्य शासन द्वारा तथा 7/8 भाग (87.5%) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है। निर्धारित सीलिंग से अधिक व्यय होने पर उसका वहन राज्य शासन के द्वारा किया जाता है।

24.6 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय शासन का निगम) द्वारा हितग्राहियों को नगद हितलाभ दिये जाते हैं।

24.7 छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के नियंत्रण में कार्यरत कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें द्वारा हितग्राहियों को चिकित्सा हितलाभ दिया जाता है ।

24.8 कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत वर्तमान में 10 जिलों में 42 औषधालय कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 06 लाख बीमित व्यक्ति तथा उनके परिवार हितलाभ प्राप्त कर रहे है। वर्तमान में कार्यरत औषधालयों/केन्द्रों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :–



Scanned with OKEN Scanner

| जिला का नाम | क्रमांक | औषधालयों/केन्द्र का नाम |
|---|---|---|
| रायपुर | 1. | फाफाडीह |
| | 2. | बीरगॉव |
| | 3. | कबीर नगर |
| | 4. | चौबे कालोनी |
| | 5. | मंदिरहसौद |
| | 6. | बैकुंठ (तिल्दा) |
| | 7. | सेजबहार-डूंडा |
| | 8. | सिलतरा |
| दुर्ग | 9. | नंदिनी रोड केन्द्र (खुर्सीपार) |
| | 10. | भिलाई सुपेला केन्द्र |
| | 11. | दुर्ग केन्द्र |
| | 12. | रसमडा केन्द्र |
| | 13. | जामुल केन्द्र |
| | 14. | कुम्हारी केन्द्र |
| | 15 | रिसाली-मरौदा केन्द्र |
| | 16. | हथखोज केन्द्र |
| | 17. | भिलाई-3 |
| राजनांदगांव | 18. | राजनांदगॉव केन्द्र |
| | 19. | टेडेसरा केन्द्र |
| | 20. | तुमडीबोड़ केन्द्र |
| बिलासपुर | 21. | बिलासपुर केन्द्र |
| | 22. | बिल्हा केन्द्र |
| | 23. | सीपत |
| रायगढ़ | 24. | रायगढ़ केन्द्र |
| | 25. | पतरापाली केन्द्र |
| | 26. | तराईमाल केन्द्र |
| | 27. | जामगॉव केन्द्र |
| | 28. | भूपदेवपुर |
| | 29. | तमनार |
| | 30. | सारंगढ़-चन्द्रपुर |
| जांजगीर-चांपा | 31. | चॉपा केन्द्र |
| | 32. | अकलतरा केन्द्र |
| कोरबा | 33. | कोरबा केन्द्र |
| | 34. | बाल्को नगर केन्द्र |
| | 35. | दर्रीजमनीपाली |
| | 36. | पताडी केन्द्र (कोरबा) |
| | 37. | दीपका |
| बलौदाबाजार | 38. | बलौदाबाजार |
| | 39. | भाटापारा |
| | 40. | हिरमी |
| धमतरी | 41. | धमतरी केन्द्र |
| गरियाबंद | 42. | नवापारा-राजिम |



Scanned with OKEN Scanner

24.1 राज्य के शेष 17 जिलों के मुख्यालय/म्युनिसिपल क्षेत्रों में इस वित्तीय वर्ष से कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की गई है। इन नये क्षेत्रों के हितग्राहियों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा निजी चिकित्सालय/निजी चिकित्सकों के साथ अनुबंध किया है।

24.2 बीमित हितग्राहियों को टर्शरी चिकित्सा सुविधायें कैशलेस आधार पर उपलब्ध कराने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य के 16 निजी चिकित्सालयों के साथ अनुबंध किया है। सुपर स्पेश्लिस्ट चिकित्सकों द्वारा विभिन्न प्रकार के हृदय रोगों, किडनी रोगों, मस्तिष्क रोगों, जटिल सर्जरी आदि से संबंधित उपचार टर्शरी केयर के अन्तर्गत आते हैं।

24.3 राज्य शासन द्वारा बीमित हितग्राहियों को वर्ष 2018–19 से कैशलेस आधार पर सेकण्डरी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिये राज्य के 44 निजी चिकित्सालयों को अधिकृत किया है।

24.4 हितग्राहियों को बेहतर चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के लिये चौबे कालोनी औषधालय रायपुर में डायग्नोस्टिक सेन्टर कम इमरजेन्सी सेन्टर संचालित किया जा रहा है।

**24.13 विभागीय संरचना के अन्तर्गत 980 पद स्वीकृत हैं :–**

| श्रेणी | स्वीकृत पद |
|---|---|
| प्रथम श्रेणी | 21 |
| द्वितीय श्रेणी | 145 |
| तृतीय श्रेणी | 533 |
| चतुर्थ श्रेणी | 281 |
| **कुल** | **980** |

Scanned with OKEN Scanner

## 24.14 कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें का बजट प्रावधान तथा व्यय :–

| वित्त वर्ष | बजट प्रावधान (रू.) | कुल व्यय (रू.) |
|---|---|---|
| 2013–14 | 32,74,30,300 | 21,18,09,975 |
| 2014–15 | 38,55,42,100 | 23,07,89,316 |
| 2015–16 | 44,95,30,100 | 36,53,84,334 |
| 2016–17 | 54,36,54,000 | 41,81,62,509 |
| 2017–18 | 58,40,50,100 | 49,80,37,141 |
| 2018–19 | 84,25,68,100 | 35,02,33,012 (माह नवम्बर 2018 तक) |

- वर्षभर में समस्त औषधालयों में उपस्थित होने वाले मरीजों की संख्या लगभग 6 लाख होती है ।
- योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों के मरीजों को राज्य के बाहर स्थित देश के प्रतिष्ठित चिकित्सालयों में संदर्भित कर उपचार कराया जाता है ।
- बीमित हितग्राहियों को गंभीर बीमारियों के प्रकरणों में कैशलेस आधार पर प्रतिष्ठित निजी चिकित्सालयों के माध्यम से उपचार देने की व्यवस्था की गई है ।

## 24.15 शीघ्र आरंभ होने वाले नये औषधालय :–

| क्र. | केन्द्र/औषधालय का नाम | औषधालयों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अंबिकापुर (जिला – सरगुजा) | 1 |
| 2 | कबीरधाम | 1 |
| 3 | महासमुंद | 1 |
| | **कुल योग** | **03** |

Scanned with OKEN Scanner

## 24.16 भविष्य की योजनाएं :–

**24.16.1** भिलाई, कोरबा, रायपुर तथा रायगढ़ में एक–एक अंतः रोगी चिकित्सालय आरंभ करने के लिये राज्य शासन द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को निःशुल्क भूखण्डों का आवंटन किया गया है। रायपुर तथा कोरबा चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस वित्त वर्ष के अंत तक निर्माण कार्य पूर्ण होना संभावित है।

रायपुर में निर्माणाधीन कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय

कोरबा में निर्माणाधीन कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय

Scanned with OKEN Scanner

## विभागीय गतिविधियों/कार्यक्रमों से संबंधित छायाचित्र

माननीय मंत्री श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के साथ चर्चा करते हुए

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय श्रमायुक्त, द्वितीय तल, ब्लॉक-3, इंद्रावती भवन, अटल नगर-492002
दूरभाष नं. 0771-2443513 से 16,  टोल फ्री नंबर-1800-233-2197